जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

अजमेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

अजमेर, मंगलवार 16 सितम्बर, 2025

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जन- जन के साथ, विकास और अंत्योदय का मार्ग

ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों

का

शुभारम्भ

17 सितम्बर, 2025

शिविरों में होने वाले प्रमुख कार्य

ग्रामीण सेवा शिविर

- रास्ते खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामान्तकरण।
- लम्बित नोटिसों की तामीली एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना।
- मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना, किसान गिरदावरी एप द्वारा गिरदावरी करवाना।
- दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10 हजार और गांवों का बीपीएल सर्वे।
- पशुओं की जांच, इलाज एवं टीकाकरण।
- विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य।
- वृक्षारोपण, नमो वन को विकसित करना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्य।
- क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाडी, छात्रावासों एवं सडकों के सुधार के कार्य।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्य।
- पीएमजेवाई कार्ड बनाना एवं वितरित करना एवं बीज मिनी किट वितरण।
- PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत गतिविधियाँ।
- NFSA अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, सदस्यों की ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना एवं UDID कार्ड बनाने से सम्बंधित कार्य।
- महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना।
- जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।

शहरी सेवा शिविर

- सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉटों की समाप्ति।
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी लाइटों को चालू करना।
- राईजिंग राजस्थान के प्राप्त निवेश प्रस्तावों हेतु भूमि चिन्हीकरण, स्वीकृतियाँ।
- जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एन. ओ. सी., ट्रेड लाईसेंस, साईनेज लाईसेंस , सीवर कनेक्शन, ओ. एफ. सी-मोबाइल टावर एन. ओ. सी./ई. डब्लयू. एस. प्रमाण पत्र आदि जारी करना।
- नमो पार्क को विकसित करना एवं सड़क मरम्मत/पेच वर्क के कार्य करना।
- आवारा पशुओं को पकड़ना।
- पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर, विकसित करना।
- नालियों की मरम्मत, फेरोकवर व मैन हॉल्स की मरम्मत, सीवर लाईन के लीकेज की मरम्मत।
- पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना एवं लम्बित प्रकरणों को ऋण वितरण करना।
- कृषि भूमि के पर बसी आबादियों में लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र, नामान्तरण एवं नाम हस्तातन्तरण।
- निकायों की योजनाओं में विक्रय आवंटित भूमि/भूखण्ड के लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे (आवंटन नीति, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट के पट्टे, नियम 1974 के नियम 18 से 19 में आवंटित भूमि को छोड़कर)।
- अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि।

राजस्थान संवाद

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

सलाम, जगदीप छोकर साहब

दिनांक 12 सितंबर 2025 को प्रोफेसर जगदीप छोकर 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। पाठकों में से संभवतया कई इस नाम से अपरिचित होंगे और यह सोच रहे होंगे कि मैं इन पर संपादकीय स्तंभ क्यों लिख रहा हूं?

इसलिए, पहले उनके जीवन के बारे में जानकारी देना उपयुक्त होगा। जगदीप छोकर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और भारतीय रेल में कुछ समय तक नौकरी की। इन्होंने इसके बाद व्यवहार संगठन विषय में अमेरिका से एम बी ए और पीएचडी की। इसके बाद वे शैक्षिक जगत में आ गए और 1985 से 2006 तक आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे। इनके चयन के पीछे की कहानी है कि आई आई एम, अहमदाबाद के तत्कालीन निदेशक आईजी पटेल, ने उन्हें संदेश भेजा कि वे साक्षात्कार के लिए आएं। उन्होंने उत्तर भेजा कि उन्हें उसी होटल में ठहराया जाए जिसमें पटेल ठहरे हुए हैं एवं उसी श्रेणी का विमान यात्रा का किराया दिया जाए जिसमें पटेल यात्रा करते हैं। छोकर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान देखकर उन्हें बिना साक्षात्कार के ही आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। सन् 2005 में उन्हें आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक पद का प्रस्ताव दिया गया, किंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वे कुछ समय तक आई आई एम अहमदाबाद के कार्यवाहक निदेशक अवश्य रहे।

अहमदाबाद में काम करते हुए छोकर और उनके साथियों ने महसूस किया कि राजनीति में पारदर्शिता का नितांत अभाव है तथा मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इस बारे में किसी की जवाबदेही भी नहीं थी।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने 1999 में अपने 10 अन्य साथियों के साथ एक संगठन ए डी आर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की स्थापना की। इस संस्था ने जगदीप छोकर के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गुजरात चुनाव में सभी उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई। उस समय, उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता एवं उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए, मतदाताओं के लिए अपने क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवारों का चयन करना कठिन होता था।

इसके लिए छोकर ने ए डी आर के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कानूनी जानकारी में दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से रिटायरमेंट से पहले कानून की पढ़ाई भी की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने में सफल रहे कि उम्मीदवारों के सम्बन्ध में कई आवश्यक जानकारियां नामांकन दाखिल करते समय मांगी जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सन् 2004 के चुनाव से निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नामांकन प्रस्तुत करते समय संबंधित उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र के साथ में अपनी शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति एवं उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। चुनाव में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह सब केवल एक व्यक्ति के अनवरत संघर्ष और प्रयास का ही फल था, और उस व्यक्ति का नाम था जगदीश छोकर।

आज प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति और उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। छोकर ने ए डी आर के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विश्लेषण करके उसे सरल रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी से यह पता लगा कि संसद में लगभग 22 प्रतिशत ऐसे सांसद हैं जिनके विरुद्ध दो वर्ष से अधिक की सजा वाले आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि किस उम्मीदवार की संपत्ति पिछले चुनाव की तुलना में कितनी बढ़ गई है? जगदीप छोकर निरंतर लोकतंत्र को मजबूत बनाने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के अपने काम में लगे रहे। कभी न्यायालय में विभिन्न प्रकार की याचिका दायर करके तो कभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज में जागृति पैदा करके, लगातार इस कोशिश में लग रहे कि हमारे चुनाव में पारदर्शिता और ईमानदारी हो।

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिएं। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

ये प्रत्येक चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों से संबंधित ब्यौरा विभिन्न संचार माध्यम से जनता के सामने लाते रहे। किन उम्मीदवारों के विरुद्ध कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, किसकी कितनी संपत्ति है और किसकी संपत्ति किस गति से बढ़ रही है ? यों कहें कि मतदाताओं को अपना निर्णय लेने के लिए सारी आवश्यक सूचना प्रदान करने का काम इस व्यक्ति ने किया।

इन्होंने प्रत्येक राजनीतिक दल के लेखों का भी परीक्षण किया और जनता के सामने लाए कि किस दल को कितना पैसा मिला और उन्होंने उसका किस प्रकार से उपयोग किया? इलेक्टोरल बांड योजना के संबंध में भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में छोकर में ही प्रस्तुत की जिसे अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक मानकर निरस्त किया गया।

हाल ही जो याचिका बिहार में एसआई आर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, उसमें भी पहले याचिका कर्ता जगदीश छोकर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि जब किसी मतदाता या राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया है तो, ए डी आर जैसी संस्था दिल्ली में बैठकर 'डाटा माइनिंग' कर रही है, जो सही नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति की लगन ही थी कि जो आंकड़े चुनाव आयोग से ही उपलब्ध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करके उन्हें इस रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया कि वह समझ सके और तय कर सके कि कौन सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व ठीक तरह से कर पाएगा ?

इन्होंने आई आई एम अहमदाबाद से सेवानिवृत होने के बाद लगातार यह काम अपने स्वयं के पैसे से किया, किसी काम के लिए कोई पैसा किसी से नहीं लिया। लोकतंत्र और राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए अनवरत काम करने वाला ऐसा व्यक्ति आज के युग में शायद ही कोई मिले। जगदीप छोकर की विशेषता यह भी थी उन्होंने अपने आप को कभी आगे नहीं रखा बल्कि अपने द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से ही वे जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि इस प्रकार के अपराधिक पृष्ठ भूमि के व्यक्ति कैसे चुनाव में जीत जाते हैं तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे लोगों की पसंद नहीं होते। उम्मीदवार, राजनीतिक दल तय करते हैं न कि जनता।

चुनाव आयोग ने जब कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आनाकानी की तो उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया।

जगदीप छोकर बहु आयामी के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान में डिप्लोमा भी किया।

वे अपनी बात बड़ी बेबाकी और स्पष्टता के साथ कहते थे। विभिन्न टीवी साक्षात्कारों में उन्होंने अपनी बात को सदैव पूरे आंकड़ों के विश्लेषण के साथ रखा। आज के युग में जहां सभी व्यक्ति केवल अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं, वहां जगदीप छोकर ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी और जवाबदेही, सुनिश्चित करने में खपा दिया।

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा।

उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिएं। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

सलाम, छोकर साहब!

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कृषि विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए राजस्थान सरकार क्या योजना रखती है, विखंडन या उन्नयन?

वीर बहादुर सिंह

एक कृषि विश्वविद्यालय को विखंडित कर पांच बना देने से शिक्षा और अनुसन्धान में गुणवत्ता नहीं बढ़ती और न ही संस्थानों में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के आकर्षक भवन और उनमे खरीदकर रखी अनेक महंगी पुस्तकें, रिसर्च जर्नल्स और प्रयोगशाला में सजे महंगे उपकरण किसी भी प्रकार से शिक्षा और अनुसन्धान की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते यह सर्वविदित है।

विज्ञान में कहावत है कि यदि किसी स्थूल पदार्थ को पहले छोटे-छोटे और फिर उन्हें सूक्षम से सूक्षमतम कणों तक बिखंडित किया जाय तो एक अदृश्य अणु प्राप्त होता है जो स्थूल अथवा भौतिक पदार्थ से सर्वथा भिन्न तो होता ही है अपितु स्थूल पदार्थ से अनेक भौतिक और रासायनिक गुणों में भी भिन्न होता है। ऐसा ही कुछ प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सरकार ने विगत वर्षों में किया है। मेरी अभी तक समझ नहीं आया कि राजस्थान प्रदेश की जो भी सरकारें आजादी के बाद बनी उन्हें सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कृषि विश्व विद्यालय के औचित्य के बारे में कभी ठीक से बोध ही नहीं हो पाया। अब तो कई दशक बीत गए लेकिन एक उचित बोध किसी के मस्तिष्क में अभी तक नहीं पनप सका है।

मेरा मानना है यह प्रदेश भेड़, ऊँट, बाजरा और मक्की तक ही अपनी सोच रखता था उसके आगे नहीं। अतः कृषि के बारे में एक बृहत सोच की परिकल्पना करना युक्तसंगत नहीं रहा। फिर भारतीय परिवेश में ऐसे अनेक समुदाय हैं जो पीढ़ीओं पुरानी अपनी परम्पराओं से इतने गहरे आबद्ध हैं कि उन्हें उस परिवेश में ही परम संतुष्टि मिलती है, शायद प्रदेश के लोगों की भी ऐसी ही मनोदशा है। उससे परे वे निकलना ही नहीं चाहते। विकास से भी वे आबद्ध नहीं होना चाहते लेकिन उसका भोग करने को आतुर रहते हैं।

वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का सूत्र पात हुआ था जिसके कारण देश में आज खाद्यान उत्पादन में देश आत्मनिर्भर होकर सरप्लस में है। पहले अमेरिका से पीएळ 480 योजना के अंतर्गत लाल रंग का गेंहू हम भारतीओं को सरकार खाने के लिए राशन की दुकानों से उपलब्ध करवाती थी। अनाज लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर अनाज ले पाते थे। आज स्थिति बिलकुल उलट चुकी है यह स्तिथि कैसे आई पिछली कुछ सरकारों ने इस पर मनन किया? अनाज उत्पादन में तो देश आत्मनिर्भर बना ही अन्य उत्पादन जैसे शक्कर, दूध, अंडे, मांस-मछली, विभिन्न तेल, कपास, आदि में भी देश काफी संतोषप्रद उत्पादन कर रहा है। यह सब और इससे सम्बंधित उत्पाद कृषि शिक्षा व् सतत अनुसन्धान और उत्तम बीजों के विकसित करने से संभव हो सका है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसमें अपने कठोर परिश्रम और लगन से देश को वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया है। सचिवालयों में बैठे प्रसाशनिक अधिकारी, जन प्रतिनिधि व मंत्री और मुख्यमंत्री संभवतः इस मूल सच्चाई से लगभग ढाई दशक से अनभिज्ञ हैं, और यह प्रभाव पीड़िओं के अंतराल से उत्पन्न और अधिक चौड़ा हुआ है जिसके परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। कृषि शिक्षा और अनुसन्धान लगभग ढाई दसक से अधोगति की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, कुछ ही समय बाद पहले जो ढांचा खड़ा किया था वह अणुओं में बिखर अदृश्य हो जायेगा। और फिर स्वामीनाथन और वर्गीज़ सरीखे वैज्ञानिक पुनः कृषि उत्थान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। देश के प्रधान मंत्री चहुमुखी किसान और कृषि विकास के पक्षधर हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि प्रदेश की सरकारें कृषि विकास शिक्षा में अवरोध डालने के लिए कैसे मायावी ताने वाने बुनती रहती हैं ?

राजस्थान सरकार किसी संसाधन को निर्मित करने के लिए नक़ल करने को तो आतुर रहती है लेकिन उसके उपरांत निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रदेश में कृषि विकास को गति प्रदान करने वास्ते कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने बावत। उत्तरप्रदेश पंतनगर (अब उत्तराखंड) में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बनने के बाद ही राजस्थान के उदयपुर में भी वर्ष 1962 में दूसरा कृषि विश्व विद्यालय बना था जो अल्प समय में ही राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया और सब भविष्य के गर्त में समा गया। तब से फिर वर्ष 1987 में पृथक कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विदेशी कर्ज लेकर बनाया जा सका। इससे ढांचागत सुविधा तो बना ली गई परतु आगे फिर सरकारी अफसरों की नसमझी से उसका विकास पल्ल्वित नहीं हो सका, फलस्वरूप गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा और अनुसन्धान अहिरावण की गिरफ्त में चले गए। विगत वर्षों से कोई हनुमान प्रदेश में पैदा नही हुआ जो तारणहार बनता।

सरकार ने बीकानेर स्थिति विश्व विद्यालय को कुछ वर्षों बाद ही विभाजित कर चार और कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जोबनेर में बना दिए। ये सभी संस्थान भवनों में भले ही पूर्ण होते हों अन्य सुविधाओं यथा वांछित कृषि शिक्षक या विषय विशेषज्ञ व अनुसन्धान कर्ता संख्या में अभी पिछड़े तो हैं ही सभी अपने स्वरूपों के विखंडन का सरकारी इन्तजार भी कर रहे हैं। विखंडन पश्चात् इनके बचे स्वरूपों की क्या उपयोगिता होगी ये भविष्य बताएगा? कोई जांच एजेंसी वर्ष 2001-2 में उपलब्ध अनुमोदित वैज्ञानिकों की संख्या का आज मौजूद संख्या से मिलान करे तो किसी स्पष्टीकरण की जरुरत नहीं पड़ेगी सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा और कर्णधार तब जबाव देने से मुंह छिपाते दिखेंगे।

सरकार ने जब-जब कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में खोले, घोषणा पश्चात् सरकार ने एक तदर्थ कुलपति की नियुक्ति कर दी साथ ही सचिवालय ने एक एक्ट और उसके साथ कतिपय मोटे मोटे उपनियम (स्टटयूटस) बनाकर गजट में नोटिफिकेशन करवा कर विधिबत सञ्चालन आरम्भ करवा दिया। बाद का कार्य फिर कुलपति, सरकार व् अन्य के सहयोग से करता रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई एवं अनुसन्धान के लिए वांछित विषय वैज्ञानिकों के पद सरकार सृजित कर कुलपति को उन पर उपयुक्त नियुक्ति करने का निर्देश देती है। इस प्रकार एक महाविद्यालय में डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के न्यूनतम तीन से चार लोग हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, कृषि स्नातक कक्षाओं में अनेक मेजर और माइनर विषय पढ़ाने को होते हैं जैसे एग्रोनोमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, मृदा विज्ञान, पशुपालन व डेरी, फार्म प्रबंधन और कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यकी, प्रसार शिक्षा आदि। फिर अन्य संकाय यथा, कृषि अभियांत्रिकी, डेरी और खाद्य प्रौद्योगिकी, मतस्य पालन विज्ञान, होम साइंस, आदि के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए दर्जनों वैज्ञानिकों/विषय विशेषज्ञों की जरुरत हो जाती है कियोंकि लगभग 45 से पचास विषय 8 सेमेस्टर में पढ़ाने की बाध्यता डिग्री के लिए होती है। इसलिए हर मेजर विषय को पढ़ाने तीन से चार विषय विशेषज्ञों की जरुरत होती है।

एक सेमेस्टर में छात्र को पांच या छः उपविषय चुनने होते हैं फलस्वरूप प्रति सप्ताह उसे हर प्रश्नपत्र के लिए पांच से छः घंटे पढ़ाई करनी होती है। सेमेस्टर के यदि पांच उपविषय निर्धारित हैं तो प्रति सप्ताह 32 से 40 कालांश उसको विशेषज्ञ पढ़ाते हैं। इससे अधिक भार न तो छात्र वहन कर सकता है और न ही विषय विशेषज्ञ पढ़ा सकता है। इन्ही आधारों पर पढ़ाई का कुल भार का आंकलन किया जाता है। और इसी भार पर अध्यापकों की मांग की गड़ना और स्वीकृति सरकार प्रदान करती है जिस पर कुलपति नियुक्तियाँ करते हैं। सरकार सोचती है कि विश्व विद्यालय में अध्यापक अधिक है जबकि संस्था प्रधान सदैव कमी का रोना रोते रहते हैं। तो क्यों नहीं सरकार के तथाकथित बुद्धिमान सचिव और संस्था के अधिष्ठाता मिलकर भार के अनुरूप स्टाफ की सख्या का आंकलन करते हैं। यदि कोई भी पक्ष इस पर अपनी बेरुखी दिखाता है तो समझा जाना चाहिए कि वह शिक्षा के प्रति वफादार नहीं हैं। इस आधार पर सरकार ने कभी कोई आंकलन न तो किया और न करवाया। फिर अध्यापकों की मांग और आपूर्ति पर सामन्जस्य कैसे बैठे ?

इस समस्या समाधान के लिए जब तक सरकार अपना लंगोट बांधती है तब तक एक सेमेस्टर बिना पढ़ाये बीत जाता है, और छात्र भले ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायँ कृषि अनुसन्धान परिषद् के नेट पर उपलब्ध नोट्स पढ़कर, गुणवत्ता में वह टीचर द्वारा पढ़ाये हुए की बराबरी नहीं कर सकता। यह बात अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने कही जो अखवारों की सुर्खियां भी बनी। यह पहला अवसर है जब मैंनें किसी मुख़्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकारोक्ति करते सुना हों। उन्होंने कहा कि हज़ार लाइब्रेरी भी एक टीचर की बराबरी नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री के सार्वजानिक कथन से प्रेरित होकर और कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुरोध पर ही मैंनें यह लेख लिखने का मानस बनाया। मुझे अब कहने में बिलकुल भी संकोच नहीं कि प्रदेश की कृषि शिक्षा की गुणवत्ता का बंटाधार और अवनति के लिए प्रदेश की पूर्व की कोंग्रेसी और बीजेपी सरकारें एक के बाद एक पूर्णरूप से दोषी हैं। आगे भविष्य बताएगा जब करोड़ों के उपकरण भी धूल चाटकर और जंग खाकर बिना उपयोग में लिए कवाड़ में बिकेंगे। उन सबकी खरीद पर काफी व्यय सरकार, कृषि अनुसन्धान परिषद् और विश्व बैंक कोष से अनुदान स्वरुप मिला धन खर्च हुआ है। सब व्यर्थ हो गया बीस पच्चीस वर्षों में। धन के अपव्यय की ऐसी मिसाल इस प्रदेश में ही मिलती है अन्य जगह नहीं। इसका मूल कारण जवावदेही की कमी। हम सरकार में बिराजमान सुप्रीम सचिवों को तो जवाब देह ठहरा नहीं सकते भले ही वे किसी मसले पर अनुमति देर से दें या बिलकुल न दें? विश्वविद्यालय भवनों से नहीं चलते वे ज्ञानी और अनुभवी विषय विशेषज्ञों से संचालित होते हैं और विश्वविद्यालय भी चापलूसी से नियुक्त कुलपति और वैज्ञानिकों से भी नहीं चला करते उनके लिए विद्वान्, कर्मठ और ईमानदार लोग ही सही संचालन कर सकते हैं।

बड़ी विडम्बना एक और है कि छात्र वर्ग अब निर्विचार हो चुका है उसे कोई मतलब नहीं कुछ भी होता रहे जबकि उसके अधिकारों पर यह सीधा कुठारा घात है। उसे तो बस डिग्री मिलनी चाहिए जो उसे वर्तमान में मिल ही जाती है। लगभग पांच दसक पूर्व बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र और युवाओं के सहयोग से देश में भूचाल ला दिया था यह विदित ही है। तब के एक रेल मंत्री ने भी ऐसा चक्का जाम किया था कि स्टेशन पर डिब्बे और इंजन भी नदारद हो गए थे और स्टेशन लगता सम शान स्थल। अब वो लीडरशिप कहाँ है खाना तो वही है आबोहवा भी वही फिर अपना भला बुरा देखने की प्रवति का लोप हमारे युवाओं में क्यों हो गया? उनकी शिक्षा पर व्यय माता-पिता करते हैं फिर वे भी सब उदासीन ?

कृषि शिक्षा व अनुसन्धान के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में नियमानुसार दो कमेटी यथा डिपार्टमेंट समिति ,बोर्ड ऑफ़ स्टडीज समिति या कोर्स समिति होती हैं वैसे तो इनमे सदस्ता निर्धारित है परन्तु विभागाध्यक्ष के निर्देश पर सभी लोग इनमे भाग लेते हैं। यही वो जगह है जहाँ विषय पढ़ाने पर आयी किसी भी बाधा पर सभी दृष्टिओं से संवाद होकर हल निकाला जाकर सुचारु पढ़ाई संभव होती है। वर्तमान में जब वांछित संख्या में विषयवार विशेषज्ञ ही न हों तो फिर न तो कोई समिति संभव है और न कोई सम्बाद। लिहाजा विषय की पढ़ाई जैसे तैसे लचर-पचर चलती रहती है। पढ़ाने वाले ने जैसा संभव बन पडा पढ़ा दिया, गुणवत्ता बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती। उपरोक्त समितियां होते हुए छोटे अनुसन्धान के लिए भी सम्बाद कर कुछ रिसर्च भी सम्पादित संभव हो जाती है। और कभी बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला बनाकर उनके लिए वांछित आर्थिक मदद के लिए किसी बड़ी संस्था को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। ध्यान रहे विभाग के स्थाई वैज्ञानिक ही इस कार्य को संपन्न करने के योग्य माने जाते हैं। इसलिए एक विभाग उन्नति के लिए ऐसे काम करता है जैसे फौज में सिपाही अपनी यूनिट के लिए। इसलिए शिक्षकों की सख्या में अपार कमी से संस्था के सञ्चालन हेतु बने एक्ट आदि नियमावली के प्रावधान स्वतः राज्य सरकार के हाथ अपास्त हो चुके हैं।

सड़क से बटोरे शिक्षकों से ऐसी सब अपेक्षायें नहीं की जा सकती कि वे विभिन्न समितिओं के सदस्य के रूप में छात्रों के लिए कोई निर्णय करें इसके लिए नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है ऐसे टीचर वास्तव में विश्व विद्यालय पर एहसान करते हैं जिससे संस्था को कहने को होजाता है कि छात्रों की पढ़ाई ठीक से जारी है। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी स्तर पर अकादमिक कौंसिल भी होती है जिसमे अक्रॉस फैकल्टी विभिन्न संकाय / विषयों के सदस्य होते हैं कुछ विषय विशेषज्ञ अन्य संस्थानों से भी नामित किये जाते हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ भी प्राप्त हो सके। अकादमिक उन्नयन के लिए ये तीन समीतिआं आवश्यक समझी गई हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों के बिगाड़े गए संतुलन से विश्व विद्यालय इन समितिओं के कार्य को कैसे सम्पादित कराते हैं? यह जांच का मुद्दा है।

शिक्षा के सुचारु प्रवंधन के लिए संस्था हेड की नियुक्ति कुलपति बिना किसी नियम कायदों के करते हैं स्वाभाविक है ऐसे में जिस प्रकार सरकार कुलपति नियुक्त करती है, कुलपति भी अपने स्वंय के विवेक से महाविद्यालय अधिष्ठाता और निदेशक अनुसन्धान व् निदेशक प्रसार शिक्षा और विभागाध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं यह सब वांछित और अनुमोदित योग्यताओं की अनदेखी कर संपन्न होता है।

कुछ भी हो, नियम कायदे और योग्यता अनुभव को दरकिनार कर जब ऐसे कार्य किसी शिक्षा संस्थान में होते हैं तो संशय शंकाएं और स्टाफ में असहयोग बलवती होने लगता है और परिणिति आखिर में बताता चलू कि कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा कृषि विश्व विध्व्लयों के लिए मानक प्रमाणिकता (एक्रीडिटेशन) की बाध्यता आज थोथी बन चुकी है वर्तमान स्तिथि में इसका औचित्य प्रश्नात्मक है। विश्व् विद्यालय स्तर पर ऐसी मानक वाध्यता स्नातकोत्तर विषय पढ़ाने के लिए भी होती है जिसे विश्व विद्यालय की पी.जी. कौंसिल विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रदान करती है। जिससे व्यक्ति स्नातकोत्तर कक्षाएं पढ़ाने के लिए अनुमोदित होता है। काफी कुछ पक्ष कृषि शिक्षा संस्थानों में व्याप्त मसलों पर मैंनें वर्णित कर दिए हैं, जिन्हें समय रहते सरकारी और विश्वविद्यालय स्तर पर सुधारना आवश्यक है। सरकार यदि अपना दृष्टिकोण बदलने में सक्षम नहीं है तो अन्य विकल्प, कृषि शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को बजट सहित हस्तांतरित कर दे, इसी में प्रदेश की भलाई है।

मनन करें, विचारें, साथिओं से सम्बाद करें और यदि आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं तो और क्या और कैसे किया जा सकता है? ध्यान रहे सभी कुछ सरकार पर छोड़ने की अपेक्षा सरकार को देश हित और कृषि शिक्षा हित के लिए उचित तरीके से बाध्य करना और उत्तरदायी बनाना हम सब का उत्तरदायुत्व है।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान

बोराज गांव में फिर पैंथर का आतंक, ग्रामीणों में दहशत

- **पैंथर ने बाड़े में घुस कर गौवंश को शिकार बनाया, ग्रामीणों के शोर मचाने पर पहाड़ों की ओर भाग गया**
- **ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की**

अजमेर, (कासं)। वरुण सागर स्थित बोराज गांव में एक बार फिर पैंथर का आतंक नजर आया। रविवार देर रात पैंथर ने बाड़े में घुसकर गौवंश को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर पैंथर पास के पहाड़ों की ओर भाग गया, लेकिन गांव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने सोमवार को वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है।

ग्रामीण गामा रावत ने बताया कि रविवार देर रात बोराज गांव में लेपर्ड एक घर के पीछे बाड़े में घुस गया था। लेपर्ड ने वहां पर बकरी और गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। हमले में गाय के बछड़े दम तोड दिया। जानवरों की आवाज सुनकर ग्रामीण नींद से जाग गये और उन्होंने देखा कि पैंथर गाय के बछड़े को खा रहा था। ग्रामीणों की आवाज सुनकर पैंथर वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि गाय ने एक माह पहले ही बछड़े को जन्म दिया था। पैंथर के हमले में बछड़े की मौत हो गई। सुबह तक गाय बछड़े के पास खड़ी रही और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। बछड़े के शरीर पर पैंथर के पंजों के निशान नजर आ रहे हैं।

नवयुवक मंडल अध्यक्ष गामा रावत ने बताया कि पैंथर की हलचल गांव के आसपास लंबे समय से बनी हुई है। गत दिनों भी चामुंडा माता मंदिर के पास ग्रामीण लाखन सिंह पुत्र मोहन सिंह के जानवरों को पैंथर ने अपना शिकार बनाया था। उन्होंने वन विभाग से पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र पैंथर का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। रात के समय वह अक्सर गांव में घुस आता है। इससे गांव के पशुपालक और किसान दहशत में हैं। पैंथर मूवमेंट की वन विभाग को सूचना दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए तो बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी।

अवैध बजरी खनन व परिवहन जारी, प्रशासन मौन

बौंली/बामनवास, (निसं)। क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी अवैध बजरी खनन व परिवहन बेधड़क चल रहा है। क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्ग व ग्रामीण सड़कों पर बजरी से भरे डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली व छोटे ट्रक हर समय दौड़ते नजर आते हैं, इनके कारण अनेकों दुर्घटनाओं में लोग जान गवा चुके हैं

गौरतलब है कि सबसे बड़ी बात यह है बौंली नगर के मुख्य सड़क मार्ग निवाई, बौंली व लालसोट मार्ग पर पुलिस थाने के सामने से अवैध बजरी के वाहन निकालते रहते हैं, उनको नगरवासी तो देखते हैं, लेकिन पुलिस की नजर ही नहीं पड़ती, कुछ बजरी माफिया तो जब यह अवैध बजरी से भरे ओवरलोड वाहन निकलते हैं तो मेन रोड लाइट को ही बंद कर देते हैं। वहीं रात्रि के समय में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 258.5 पर बजरी माफियाओं ने फिर से अपना अखाड़ा जमा लिया है। कुछ दिनों पूर्व ही यहां पर एक सड़क दुर्घटना में पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया था, फिर भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बौंली पुलिस ने 14 व 15 सितंबर को कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है।

पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी, हैड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह व हैड कांस्टेबल सुनील दत्त के नेतृत्व में गठित अलग-अलग तीन टीमों ने रामदेव तिराहा के पास खिरनी व ग्राम बहनौली, पीपलवाड़ाव चांदा की झोपड़ियां से दबिश देकर अवैध बजरी खनन व परिवहन करते तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया है। चालक व मलिक पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 16 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6:46 तक, वारियान योग रात्रि 12:34 तक, वणिज करण दिन 12:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:29 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से प्रातः 6:46 तक है। कुमार योग प्रातः 6:46 से आरम्भ होगा। आज भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 12:23 तक है। आज आश्विन संक्रांति, सूर्य कन्या में रात्रि 1:47 पर प्रवेश करेगा। आज दशमी का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:19 से 10:50 तक, लाभ-अमृत 10:50 से 1:53 तक, शुभ 3:25 से 4:36 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:27

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मानसिक तनाव नहीं रहेगा। मनःस्थिति में सुधार होगा।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष और भय बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला
नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तिगत खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

अजमेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 | वर्षः 30 | संख्याः 47 | प्रभात | अजमेर, मंगलवार 16 सितम्बर, 2025 | आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2.50 रु.

वक्फ अमैंडमैंट एक्ट के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेष अधिनियम के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की तीन प्रमुख धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर निर्णय आने तक उन्हें स्थगित रखा जाएगा।

- चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बैंच ने जिन तीन प्रावधानों पर रोक लगाई है, उनमें पहला कलैक्टर को दिए गए ''अत्यधिक'' अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, कलैक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह ''सैपरेशन ऑफ पावर्स'' के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक इस प्रावधान पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस धारा को स्थगित किया जाता है।
- दूसरा प्रावधान वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ काउन्सिल में गैर मुस्लिम सदस्यों से संबंधित था, कोर्ट ने इसे भी स्थगित कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।

अधिनियम में जिलाधिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा:

''कलेक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे सत्ता के पृथक्करण (सैपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा कोई निर्णय नहीं होता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

88 वर्षीय महिला की पैंशन क्यों रोकी?

जयपुर, 15 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 88 वर्षीय महिला को अतिरिक्त राशि देने को आधार बनाकर उसकी फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी और एसबीआई के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकला बाबेल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने पैंशन निदेशक, कोषाधिकारी व एसबीआई के शाखा प्रबंधक से जवाब मांगा।

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति कार्मिक विभाग से सितंबर, 1994 में सहायक सचिव पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उनकी पेंशन आरंभ हो गई। वहीं अगस्त, 2008 में पति का निधन होने पर विभाग ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन देना शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया कि 26 दिसंबर, 2024 को कोषागार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिहार के एस.आई.आर. में हम अलग से निर्णय नहीं दे सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था है, अतः हम मानते हैं कि सभी कानून व कायदों का अनुसरण कर रहा होगा, नई मतदाता सूची बनाने में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन-एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई गैरकानूनी तरीका पाया गया, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।

बैंच ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल बिहार के मामले में टुकड़ों में राय नहीं दे सकती, बल्कि यह निर्णय देशभर में होने वाले सभी एसआईआर प्रक्रियाओं पर लागू होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने

- पर, अगर यह पाया गया कि सूची फाइनल करने की प्रक्रिया में कुछ गैरकानूनी तरीके अपनाये गये हैं, तो सूची बनाने की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, चुनाव आयोग के अधिकारी, आधार कार्ड को उस बारहवें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसकी आवश्कता होती है, नाम व पते के प्रमाण के लिए।

यह भी कहा कि वह यह मानकर चलती है कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, एसआईआर की कवायद में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अंतिम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आयकर रिटर्न जमा करने की डैड लाइन नहीं बढ़ाई गई है'

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डैड लाइन 30 सितम्बर किए जाने की वायरल खबर को फ़र्ज़ी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15, सितंबर। अगर आपने भी यह वायरल हुई खबर देखी है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है, तो सतर्क हो जाइए, यह दावा फर्जी है।

इनकम टैक्स विभाग ने पुष्टि की है कि आधिकारिक अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितम्बर ही है।

वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक भ्रामक संदेश में दावा किया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है।

वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पहले से बढ़ाई गई 15 सितम्बर की तारीख के बाद कोई

- हाल ही में वॉटसएप और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि आयकर रिटर्न की डैड लाइन, जो पहले 15 सितम्बर थी, को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। विभाग ने इस फर्जी प्रेस विज्ञप्ति को ऑनलाइन साझा किया है, जिस पर ''फेक'' (फर्जी) की लाल मुहर लगी हुई है ताकि करदाताओं को सचेत किया जा सके।

एक बयान में विभाग ने कहा: ''एक फर्जी खबर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि (जो पहले 31.07.2025 थी और फिर 15.09.2025 तक बढ़ाई गई) को और बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनी हुई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक ''इनकम टैक्स इंडिया अपडेट'' पर ही भरोसा करें।''

15 सितम्बर की अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जो टैक्स

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायकों की खरीद -फरोख्त के मामले का हाई कोर्ट ने केस बंद किया

जयपुर, 15 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में, एसीबी

- अदालत ने कहा एसीबी ने अपराध को प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है।

की ओर से पेश एफआर के आधार पर केस को बंद कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश भरत मालानी व अशोक सिंह की आपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एसीबी ने स्वयं ही प्रकरण में अपराध बनना प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है। ऐसे में एफआईआर को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पांच साल पहले पेश याचिका में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कोई भी भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता था'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को मजबूर किया था, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी की दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के दबाव में खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा।

रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने केवल खेल पर ध्यान केन्द्रित रखा। खेल के दौरान बल्ले और गेंद के बीच की प्रतिस्पर्धा को छोड़कर दोनों टीमों के बीच कोई मेलजोल नहीं हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना भारतीय टीम का पूर्व नियोजित निर्णय था,

- स्पोर्ट्स तक चैनल से एक वार्ता में सुरेश रैना ने दावा किया कि एक भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मन से तैयार नहीं था।
- भारतीय टीम की अनिच्छा पूरे मैच के दौरान नज़र आई। जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात करना तो दूर औपचारिक ''हैंड शेक'' तक नहीं किया।

जिससे सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाक टीम हैरान रह गई। अब यह भी सामने आया है कि भारतीय खिलाड़ी यह मैच खेलना ही नहीं चाहते थे।

स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा, ''मेरी जानकारी के अनुसार, टीम का कोई भी खिलाड़ी एशिया कप खेलना नहीं चाहता था। एक तरह से वे मजबूर थे क्योंकि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट खेलने के लिए हामी भर दी थी।'' रैना ने कहा, ''मुझे दुख है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम से व्यक्तिगत राय ली जाती, तो वे मना कर देते।

किसी का मन नहीं था खेलने का।'' पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद शुरू हुए ''ऑपरेशन सिंदूर'' के चलते, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक अपूर्व निचले स्तर पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच के तनाव को मद्देनज़र रखते हुये, यह भी सवाल उठने लगे थे कि इस साल एशिया कप होगा भी या नहीं। लेकिन अंततः बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट बोर्डों ने टूर्नामेंट कराये जाने पर सहमति जताई।

बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की मंजूरी दिए जाने के बाद, मैच के बहिष्कार की मांग भी उठी थीं। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। फिर भी भारतीय टीम ने शोर को नज़रअंदाज़ कर निर्धारित मैच खेलने का साहस दिखाया।

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैदान पर जीत तो हासिल की ही, साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 15 मूक बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे

नयी दिल्ली, 15 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 15 मूक-बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के प्रयास से पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा

- ये बच्चे तीन शिक्षिकाओं के साथ 16 सितम्बर को हवाई जहाज से जयपुर जायेंगे।

स्थित प्रमिला बाई मूक-बधिर स्कूल के 15 बच्चे और 3 शिक्षिकाएं हवाई जहाज से जयपुर जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का भरपूर स्वागत किया

विपक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके सोच व तर्क की पुष्टि है, वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है तथा मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर गढ़ा गया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा इस साल अप्रैल में पारित नए वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ अहम धाराओं के लागू होने पर आज रोक लगा दी। विपक्ष ने इस अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि उनका यह कहना सही था कि यह क़ानून असंवैधानिक है और इसे जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम की प्रमुख धाराएँ, जिन पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, अब रोक दी गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ प्रावधान शक्तियों के ''मनमाने'' इस्तेमाल का रास्ता खोलते हैं।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे क़ानून पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा चाहिए। इन धाराओं को तब तक रोका गया है, जब तक इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फ़ैसला नहीं हो जाता।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, संसद में इस क़ानून का विरोध करने वालों की जीत बताया।

- पर, सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे विधेयक के क्रियान्वयन पर ''स्टे'' लगाने की जरुरत नहीं, पर, विधेयक के कुछ अंश पर ''पॉज़'' का बटन लगाने की जरुरत है, जब तक उस याचिका पर निर्णय नहीं होता जिसमें विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
- जयराम रमेश, एम.के. स्टालिन, के.सी. वेणुगोपाल, तृणमूल सांसद सागरिका घोष, अखिलेश यादव, जमीअत-ए-हिन्द नेता मौलाना अरशद मदनी, ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ''स्टे'' का स्वागत करते हुए कहा कि इस आदेश से यह साबित हुआ कि जनता में जो विश्वास व भरोसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, वो जायज़ है।

उन्होंने कहा, आज का आदेश न सिर्फ़ उन दलों की जीत है, जिन्होंने संसद में इस मनमाने क़ानून का विरोध किया था, बल्कि उन सभी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों की भी जीत है, जिन्होंने विस्तार से असहमति दर्ज कराई थी, जिसे नज़रअंदाज़ किया गया था, पर अब वो सही साबित हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा, इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगाई है, मौजूदा वक़्फ़ संपत्तियों को संदिग्ध दावों से सुरक्षित किया है और उस धारा पर रोक लगाई है, जिसमें वक़्फ़ बनाने के लिए 5 साल से मुसलमान होने का सबूत माँगा गया था। यह आदेश न्याय, समानता और भाईचारे जैसे संवैधानिक मूल्यों की जीत है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, जिनकी पार्टी डीएमके याचिकाकर्ताओं में शामिल थी, ने कहा, यह आदेश भाजपा सरकार द्वारा किए गए असंवैधानिक और ग़ैरक़ानूनी संशोधनों को रद्द करने की दिशा में एक बड़ा क़दम है। डीएमके ने शुरू से ही संसद में इस विधेयक का विरोध किया था।

उन्होंने आगे कहा, आज का आदेश जनता की उस उम्मीद और भरोसे को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही'

नयी दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि

- संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यह निर्णय लोकतंत्र के हित में है।

शीर्ष अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है।

रिजिजू ने वक्फ संशोधन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घग्घर नदी का पानी अनूपगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए मुसीबत बना

प्रशासन ने फसलों को बचाने के लिए किसानों की मदद से खेतों के पास बांध बनवाए थे, पर पानी की अधिक आवक के कारण बांध टूट गए

- **बांध टूटने के कारण लगभग 3200 बीघा में खड़ी 15 करोड़ रुपए की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई**
- **'किसानों द्वारा सूचना मिल रही है कि बांध टूटने से काफी फसल खराब हो गई है, एसडीम के निर्देशों पर खराब फसल का सर्वे किया जा रहा है'**

अनूपगढ़, (निसं)। क्षेत्र में घग्घर नदी के पानी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव 35 एपीडी, 34 एपीडी, 36 एपीडी, एक बीएसएम और 2 बीएसएम में नरमे और धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं।

घग्घर नदी को इस क्षेत्र की जीवनदायिनी माना जाता है। इसका पानी जमीन को रिचार्ज करता है और उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, लेकिन इस बार नदी का पानी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रशासन ने फसलों को बचाने के लिए किसानों की मदद से खेतों के पास बांध बनवाए थे। पर पानी की अधिक आवक के कारण बांध टूट गए। इससे लगभग 3200 बीघा में खड़ी 15 करोड़ रुपए की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसान अपनी आंखों के सामने फसलों को डूबते देख रहे हैं। वे इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन अब नुकसान का आंकलन करने के लिए सर्वे करवा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के द्वारा घग्घर नदी से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया था तो उस दौरान ग्रामीण कश्मीर कम्बोज सहित अन्य किसानों ने जिला कलेक्टर को बता दिया था कि नदी के बांध कमजोर हो चुके हैं और यह बांध कभी भी टूट सकते हैं।

इस पर जिला कलेक्टर ने कहा था कि बीएसएफ के अधिकारियों से अपील की जाएगी कि पानी को आगे जाने के लिए रास्ता दिया जाए और वहीं सिंचाई विभाग और फ्लड विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे कि बांधों को मजबूत किया जाए, मगर आज गांव 35 एपीडी में कटाव आने के कारण करीब 1250 बीघों में खड़ी नरमे और धान की फसल खराब हो गई।

किसान बलराज सिंह ने बताया कि घग्घर नदी के पानी को निकालने के लिए सही रास्ते की जरूरत है, मगर प्रशासन घग्घर नदी के बहाव के लिए सही रास्ता नहीं बना पाया। प्रशासन गांव को बचाने के लिए किसानों के खेतों के पास बने बांध तुड़वा रहा है, जिस कारण से किसानों की फसल खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि इन दिनों किसानों के खेत में नरमें और धान की फसल है। धान की फसल करीब चार से पांच फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, मगर नदी के पानी ने सारी फसल को डूबा दिया है।

किसान नवीन बिश्नोई और मोनू स्वामी ने बताया कि घग्घर नदी में एक बार पानी की आवक कम हो गई थी, मगर वापस से पानी बढ़ने लग गया है। वापस पानी बढ़ने के कारण और पानी जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर बांध टूटता है तो किसान जनजीवन भी प्रभावित हो जाएगा। प्रशासन के द्वारा कोई विशेष बंदोबस्त नहीं किया जा रहे हैं। इस कारण से ग्रामीण अपने ही स्तर पर और अपने ही खर्च पर बांधों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से भी सहयोग की अपील की है।

पटवारी इंद्रजीत ने बताया कि किसानों के द्वारा सूचना मिल रही है कि बांध टूटने से काफी फसल खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि एसडीम सुरेश राव के निर्देशों पर खराब फसल का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंप जाएगी और फिर सरकार को भिजवाई जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को नियम अनुसार मुआवजा दिलवाया जाए।

कार से अवैध नकदी व दस्तावेज जब्त

उदयपुर, (निसं)। शहर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान कार जब्त कर नकदी व बैंक से जुड़ दस्तावेज जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी मय टीम रविवार को तलाशी अभियान के दौरान जहां मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर दिक्षित कलाल पुत्र प्रवीण कलाल निवासी गामा बामणिया सागवाड़ा ओवरी डूंगरपुर द्वारा बैंक खाते खरीद फरोख्त करने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां अटलबीहारी वाजपेयी सामुदायिक भवन के समीप खड़ी कार में अरविन्दसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह चौहान कार में मिला। पूछताछ में उसने दिक्षित की कार होकर उसकी कार लेकर जयपुर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने गई अपनी बहन कुसुम सौहान को लेने आने की जानकारी दी। इस पर उसकी व कार की तलाश ली तो उसमें 500 रूपये की 9 गिड्डियां कुल 4 लाख 50 हजार रूपये नकदी तथा कुछ पासबुकें सहित बैंक से संबंधित दस्तावेज, हिसाब डायरी मिली तथा अरविन्द के मोबाइल में भी संदिग्ध जानकारी मिली। इस पर कार नकदी व दस्तावेज जब्त कर दिक्षित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिसकी जांच एसआई ममता देवी को सौंपी है।

घर में घुसकर दलित महिला से दुष्कर्म

महिला चिल्लाई तो पड़ोसियों ने आकर बचाया, युवक घर में ही बक्से में छुप गया, पुलिस को सौंपा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला को घर में अकेली देखकर मौका पाते ही घर में घुस गया और छेड़छाड़ करते हुए रेप किया। वहीं महिला चिल्लाई तो पड़ोसियों ने आकर महिला का बीच-बचाव किया। वहीं युवक महिला के घर में ही लोहे के बक्से में छुप गया आसपास के पड़ोसी दौड़कर आए और घर की तलाशी ली। इस दौरान युवक लोहे के बक्से में बैठा हुआ दिखाई दिया ग्रामीणों ने युवक को घर पकड़कर मोहल्ले में ले आए और पेड़ से बांधकर थाने में सूचना दी।

शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीण के चुंगल से युवक को छुड़ाकर थाने ले आई महिला ने युवक पर छेड़छाड़ अश्लील हरकत करते हुए रेप का आरोप लगाया। महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि शंभूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी जगदीश पिता माधु लाल जाट मुझे कई दिनों से परेशान करते हुए अश्लील वार्तालाप करता है। वही युवक मुझे साथ चलने एवं जबरन मोबाइल पर बात करने का दबाव बना रहा था। मेरे द्वारा आरोपी के साथ नहीं जाने व फोन पर बात नहीं करने पर युवक मुझे जबरन घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहा था। इस दौरान में सोमवार को सुबह चार बजे मेरा पति मवेशियों का दूध निकालने के लिए घर से बाहर गया, तभी जगदीश जाट मुझे अकेली पाकर मेरे घर में घुसा और मकान के गेट को अंदर से बंद कर मुझे जान से खत्म करने की धमकी देते हुए मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा और छेड़छाड करते हुये जबरन रेप किया। इस दौरान में घर में अकेली थी। मेरे चिल्लाने पर आसपास के पड़ोसी ने आकर मेरा बीच-बचाव किया।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2025-26 / 15702 दिनांक 12.09.2025

ई- निविदा-सूचना सं0 93/2025-26

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की कुल लागत 30.00 लाख

UBN Number :- DLB2526WSOB18053

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

राज.संवाद / सी / 25 / 10024

प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, दो आरोपी डिटेन

- **घायल प्रोपर्टी डीलर को अस्पताल ले जाया गया और उपचार कराया, परिजन और लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया**

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकटवर्ती फिटकासनी रिंग रोड पर रात में हुई हाथापाई के बाद सोमवार सुबह बदमाशों ने कॉल कर प्रोपर्टी डीलर को बुलाया और फायरिंग कर दी। इसमें प्रोपर्टी डीलर के बाएं पैर की जांघ में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। फायरिंग की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने दो बदमाशों को डिटेन कर लिया। इधर घायल के परिजन और समाज के लोगों ने झालामंड स्थित लाइट चौराहा के पास में धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के आलाधिकारियों ने उनसे समझाइश कर शान्त किया। बताया जाता है कि छह-सात महिने पहले दोनों पार्टियों के बीच विवाद के चलते राजीनामा हुआ था, मगर उसके बावजूद एक पार्टी रंजिश रखे हुए थे। मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में पड़ने से पुलिस जांच कर रही है। धरना स्थल पर पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

एयरपोर्ट थाना पुलिस के अनुसार झालामंड के लाइट चौराहा फिटकासनी रोड के पास रहने वाले नत्थूराम प्रजापत और रवि विश्नोई के बीच किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। विवाद के चलते छह-सात महिने पहले उनमें राजीनामा भी हुआ था। कुछ समय तक तो मामला शांत रहा, मगर रवि विश्नोई फिर भी रंजिश रखे हुए थे। बताया गया कि रविवार की रात में रवि विश्नोई और उसके साथियों ने नत्थूराम को कॉल कर बुलाया था। तब वह अपने घर के नजदीक लाइट चौराहा झालामंड पहुंचा। जहां पर उनके बीच में हाथापाई भी हुई। नत्थूराम और उसके साथ वाले भाई हीरालाल ने जैसे तैसे बच कर अपनी जान बचाई थी। आज सुबह रवि विश्नोई ने फिर से कॉल कर नत्थूराम को बुलाया। इस पर नत्थूराम, उसका भाई हीरालाल आदि गाड़ी लेकर रिंग रोड फिटकासनी पर पहुंचे। उनके गाड़ी से उतरते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जिससे नत्थूराम के बाएं पैर की जांघ में गोली जा धंसी। फायरिंग के तीन चार राउण्ड किए गए, जोकि गाड़ी के शीशे, बोनट और उसके नीचे लगना प्रतीत हुआ है। इधर घायल हुए नत्थूराम को बाद में तत्काल अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची।

एसीपी बोरानाडा आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में है। इस पर एसीपी मंडोर नगेंद्र कुमार, एयरपोर्ट थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा भी वहां पहुंचे। घटना के कुछ समय बाद ही क्षुब्ध परिजन और समाज के लोगों ने झालामंड लाइट चौराहा के पास में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखते हुए धरना दे दिया। पुलिस ने दो लोगों को डिटेन किया जाना बताया है। इसमें मुख्य आरोपी रवि विश्नोई भी बताया जाता है।

पीड़ित पक्ष नत्थूराम के परिजन के अनुसार आरोपियों ने रात में झगड़े के बाद उनके घर के आगे पेट्रोल बम भी फेंका था। जिस पर पुलिस वहां पहुंची थी। मौके की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। उनकी गाड़ी को भी जलाने का प्रयास किया गया। मौके पर बोतलें मिली है, पुलिस जांच में जुटी है।

बीकानेर जेल में भुजिया के पैकेट में जमीन में छिपाकर रखा एंड्रॉयड मोबाइल बरामद

बीकानेर केन्द्रीय कारागृह में गैंगस्टर रोहित गोदारा के चार साथी एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे

- **जेल में मोबाइल कौन, कहां से और कैसे लाया, इसका पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच में जुटी**

बीकानेर, (निसं)। यहां केन्द्रीय कारागृह एक बार फिर चर्चा में है। जेल में गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी रहे हिस्ट्रीशीटर सहित चार लोग एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मोबाइल को भुजिया के पैकेट में डाल जमीन में छिपाकर रखा गया था जो बरामद किया गया है।

नापासर पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी जो पूर्व में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग में रहा है, जुलाई माह से बीकानेर जेल में है। जेल में ही उसकी चूरू के सजायाफ्ता बंदी श्रवण कुमार, विचाराधीन बंदी अनिल शर्मा उर्फ पंडत और झुंझुनूं निवासी प्रदीप मंगवा से दोस्ती हो गई। चारों बंदी जेल में रहकर एंड्रॉयड मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। जेल में रहकर बाहर के लोगों से लगातार बातचीत करते थे। जेल कार्मिकों को इन बंदियों की गतिविधियों पर शक था, इसलिए उनकी मुखबिरी की जा रही थी। इस दौरान बंदियों के पास मोबाइल फोन और बाहर बातचीत किए जाने की जानकारी मिली। जेल कार्मिकों ने वार्ड नं. 8 के बैरक नं. 30 की तलाशी ली। इस दौरान बैरक के पीछे भुजिया के पैकेट में डालकर जमीन में छिपाया गया वीवो कंपनी का एंड्रॉयड फोन बरामद हो गया। फोन पर लगे पासवर्ड से उसे खोला गया और जांच-पड़ताल की गई तो सामने आया कि चारों बंदियों ने व्हाट्सअप कॉल के जरिये जेल से बाहर बातचीत की है। मोबाइल जब्त कर लिया गया। प्रहरी श्यामसुन्दर बिश्नोई की ओर से बीछवाल पुलिस थाने में चारों बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच एसआई सुशीला को सौंपी गई है। जेल में मोबाइल कौन, कहां से और कैसे लाया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस तो मामले की जांच करेगी ही, जेल अधिकारी भी अपने स्तर पर छानबीन में जुटे हैं। बीकानेर जेल में वर्ष 2023 से अब तक मोबाइल, मादक पदार्थ और अन्य संदिग्ध सामग्री मिलने के 24 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वर्ष 2024 में 17 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस साल अब तक सात मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बीछवाल थाना पुलिस ने इनकी जांच की तो सामने आया कि जेल में ज्यादातर की-पैड मोबाइल बरामद किए गए। ये मोबाइल रिश्तेदारों, सुरक्षाकर्मी और स्टॉफ की मिलीभगत या बाहर से थ्रो कर दीवार के उस पार भेजे गए।

जेल में बंदियों से अक्सर की-पैड वाले मोबाइल फोन बरामद होते रहे हैं, लेकिन, नया एंड्रायड मोबाइल बरामद होना खतरे की घंटी है, क्योंकि, केन्द्रीय कारागृह में हार्डकोर अपराधी और गैंगस्टर के गुर्गे बंद हैं। हरियाणा-पंजाब सहित अन्य राज्यों के और पाकिस्तानी बंदी भी हैं। जेल से मोबाइल के जरिये बाहर लोगों को धमकी देकर फिरौती मांगने की वारदातें हो चुकी है। मुख्यमंत्री तक को धमकी दी जा चुकी है। पिछले दिनों एक बंदी की ओर से जेल के अंदर बनाया गया वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एंड्रॉयड मोबाइल से जेल में रहकर भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देना और गिरोह चलाना आसान है।

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/141 - 143 Date :- 12/09/2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 38/2025-26

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यो की कुल लागत	रूपये 666.86 लाख (02 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि	15.09.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 09.10.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	15.09.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 09.10.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	10.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे (तकनिकी बिड)

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2526WSOB00252, ITU2526WSOB00253

अधिशाषी अभियन्ता - प्रथम
उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.संवाद/सी/25/10034

औरंगजेब की प्रशंसा पर सुखाड़िया वि.वि. में हंगामा, छात्रों ने कांच फोड़े

- **कुलगुरु सुनीता मिश्रा का पुतला फूंका, हटाने की मांग की**

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में औरंगजेब की प्रशंसा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को भी छात्रों ने कुलगुरु सुनीता मिश्रा के खिलाफ हंगामा किया। छात्र प्रशासनिक भवन में पीछे के गेट से घुसे और दरवाजों के कांच फोड़ दिए। कुलगुरु का पुतला फूंका, इसके बाद टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को बिगड़ते विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को बुलाया।

जानकारी के अनुसार कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा ने एक संगोष्ठी में अपने सम्बोधन के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। इसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। इसके बावजूद छात्र उनको हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 12 सितंबर को यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रो. सुनीता मिश्रा ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और अकबर जैसे कई राजा-महाराजाओं के बारे में सुनते हैं। इनमें कुछ औरंगजेब जैसे कुशल प्रशासक भी थे। इधर विवाद बढ़ने के बाद कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा ने माफी मांगते हुए एक बयान जारी किया। सुनीता मिश्रा ने कहा कि वक्तव्य को गलत तरीके से तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। यदि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा में कुछ नहीं कहा है। वे मूलतः अहिन्दी भाषी हैं जिसके कारण सुनने में भाषा संबंधी असमंजस हो जाता है। उनका मंतव्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था और यदि उनके वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे क्षमा चाहती हैं।

कुलपति सुनीता मिश्रा के बयान का मेवाड़ क्षत्रिय महासभा शहर शाखा एवं बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा विरोध व्यक्त करते हुए संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मेवाड़ की पवित्र भूमि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की वीरता और बहादुरी से भरी पड़ी है। इस पर कुलपति द्वारा औरंगजेब की प्रशंसा करना कहां का न्याय है। जिसने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को लूटा, ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रशंसा को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा शहर शाखा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया एवं बजरंग सेना मेवाड़ के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पंवार ने प्रशासन से मांग की है कि कुलपति को तुरंत बर्खास्त किया जाए अन्यथा हमें आंदोलन की और अग्रसर होना पड़ेगा।

युवती से 24 हजार की ठगी

जोधपुर, (कासं)। शहर के बासनी तंबोलिया में रहने वाली एक युवती को शातिर ने खाते में गलती से रूपए आने की बात कहकर वापस रूपए भेजने को कहा। इस पर युवती ने उसकी बात में आकर 24 हजार की रकम बदमाश के खाते में ट्रांसफर कर दी। बाद में उसे पता लगा कि खाते में कोई रूपए आए नहीं थे। उसने साइबर पोर्टल पर पहले शिकायत दी और अब माता का थान पुलिस थाने में फ्रॉड का केस दर्ज कराया है। हेड कांस्टेबल भागीरथ ने बताया कि मगजी की घाटी पन्नालाल गौशाला मंडोर हाल सुंदर सिंह भंडारी योजना बासनी तंबोलिया निवासी दुर्गा मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके पास 10 अगस्त को किसी ने कॉल कर कहा कि गलती से उसने खाते में 24 हजार रूपए डाल दिए हैं, वह उसे वापिस लौटाए। इस पर शातिर के बताए खाते पर दुर्गा ने 24 हजार रूपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में दुर्गा ने खाता चैक किया तो पता लगा कि रूपए नहीं आए थे। उसने साइबर पोर्टल पर भी शिकायत दी।

MBM UNIVERSITY, JODHPUR

No. : MBMU/OIC/2025-26/800 Date :- 13/09/2025

NOTICE INVITING BID

Bids are invited from interested eligible and experienced vendors/suppliers for the supply/provision of the following items/services at MBM University, Jodhpur. All other particulars of the bid may be visited on the portal **sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in and www.mbm.ac.in.**

1. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00039 COMSOL Multiphysics for Mechanical Department (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹32.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025, 12:00 Noon.
2. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00040 Data Acquisition Systems for Mechanical Department (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹20.00 and last date of bid submission 24.09.2025, 12:00 Noon.
3. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00041 Equipment for Automobile Lab (UNDER PM-USHA) at M B M University, Jodhpur. with estimated amount ₹19.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
4. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00042 Equipment for Mechanical Workshop for Mechanical Department (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹47.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
5. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00043 Equipment for Thermal Properties Measurement Apparatus (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹19.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
6. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00044 HMT laboratory Equipment's (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹10.30 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
7. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00045 Instrumentation Lab Equipment's for Mechanical Department (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹11.50 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
8. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00046 Refrigeration and Air Conditioning Lab Equipment's for Mechanical Department (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹12.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
9. Bids vide UBN No: MBM2526GSOB00047 3D Cad Software's in computer lab (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹05.00 Lakhs and last date of bid submission 19.09.2025 12:00 Noon.
10. Bids vide UBN No: MBM2526GSRC00048 Rate contract of Stationary Items at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹10.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.
11. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00049 Equipment's for Solar Lab for Mechanical Department (UNDER PM-USHA) at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹13.00 Lakhs and last date of bid submission 24.09.2025 12:00 Noon.

Raj.Samwad/C/25/10042 OIC-Central Store

राजस्थान आवासन मण्डल

क्रमांक :- 425 दिनांक :- 12/09/2025

निविदा सूचना संख्या 07/2025-26

इस कार्यालय द्वारा 1. द्वारकापुरी अपार्टमेन्ट सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर में एच.टी./एल.टी. अन्डर ग्राउण्ड केबल के सुदृढीकरण का कार्य। 2. गुलाबपुरा, भीलवाड़ा आवासीय योजना में एच.टी. लाईन को शिफ्ट करने का कार्य। उक्त समस्त कार्यों की निविदा इच्छुक बोलीदाताओं से दिनांक 16.09.2025 से 25.09.2025 सायं 06:00 बजे तक ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in & http://rhb.rajasthan.gov.in विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। यू.बी.एन. नं.:- RHB2526WSOB00198 और RHB2526WSOB00199

राज.संवाद/सी/25/10065 आवासीय अभियन्ता, खण्ड-विद्युत, जयपुर

सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक :- एफ/साविम/खु.नि. स्टोर/2025-26/02 दिनांक :- 12/09/2025

खुली निविदा सूचना

महाविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सफाई कार्य हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की अंतिम तिथी 23.09.2025 है। निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.raubikaner.org and http://www.sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।

NIB Code : SKA2526A0042, UBN No. : SKA2526WSOB00086

राज.संवाद/सी/25/10046 अधिष्ठाता

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

ई-निविदा सूचना संख्या 23/2025-26

इस विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जाने के लिए जारी ई-बोली आमन्त्रित की जाती है, बोली प्रपत्र दिनांक 10.09.2025 से https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://www.policeuniversity.ac.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है व https://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन भरा जाना है।

UBN No. : SUP2526SLOB00016

राज.संवाद/सी/25/10043 कुलसचिव

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

ई-निविदा सूचना दिनांक :- 12/09/2025

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
आर.एस.एम.एम. / एसबीयू एण्ड पीसी-एल.एस / प्रमुख एवं प्रभारी-एलएस / संविदा-06 / 2025-26 दिनांक 11.09.2025 UBN No. MML2526SLOB00087	कम्पनी की गोटन चूना पत्थर ईकाई, कार्यालय, जिला नागौर पर अवैध खनन् रोकथाम हेतु चार महेन्द्रा जीप (7-सीटर कवर्ड एसी डीजल टैक्सी परमिट) मॉडल वर्ष 2018 या उसके बाद की 24 घण्टे प्रतिदिन कार्य हेतु (3000 किमी प्रति जीप प्रति माह चलाने हेतु)। {चारो वाहनों की सम्मिलित कुल मासिक न्यूनतम निर्धारित किलोमीटर 12000 किलोमीटर प्रति माह} अनुमानित मूल्य (रू.) 10.20 लाख, धरोहर राशि (रू.) - 20400/-, निविदा राशि- 1180/-

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा प्रबन्धक (अनुबंध) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/25/10049 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

27 साल से फरार इनामी बदमाश गुजरात से गिरफ्तार

वर्ष 1998 से धोखाधड़ी के मामले में फरार था 25 हजार का इनामी बदमाश अकबर

- **आरोपी अकबर वाहनों को खरीद फरोख्त के नाम से रूपये लेकर हड़पने का काम करता था**

उदयपुर, (निसं)। जयपुर एटीएस एवं एसओजी की टीम ने एटीएस उदयपुर यूनिट के सहयोग से सत्ताईस वर्ष से फरार इनामी बदमाश को गुजरात से गिरफ्तार किया है।

एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि वीके सिंहअतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी के निर्देशानुसार उदयपुर एटीएम टीम के सहयोग से वर्ष 1998 से धोखाधड़ी के मामले में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश अकबर पुत्र गन्नी मोहम्मद निवासी मांगरोल सूरत गुजरात को गिरफ्तार किया। आरोपी अकबर वाहनों को खरीद-फरोख्त के नाम से रूपये लेकर हड़पने का काम करता था, जिसे बांसवाड़ा सहित कई जिलों की पुलिस तलाश कर रही थी, जो अपने ससुराल सूरत मांगरोल में छुप कर रह रहा था। इस मामले में आरोपी के सहयोगी पीर मोहम्मद, हमीद खां, विवेक कुमार, दाउद पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस उदयपुर यूनिट ने अकबर के अपने ससुराल सूरत में होने की सूचना पर उससे संपर्क कर वाहन खरीदने की बात की। दो माह तक चले ऑपरेशन में की गई कार्रवाई के चलते आरोपी एटीएस की गिरफ्त में आया। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर विकास कुमार ने कार्रवाई में शामिल टीमों को जयपुर एटीएस कार्यालय में सम्मानित करने की घोषणा की।

वृद्धा के जेवर लूटे : उदयपुर में मकान के आंगन में सोई वृद्धा के बदमाश जेवर छीन ले गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 सितंबर रात में भोपों का गुढ़ा सांगवा फला घासा निवासी नंदूबाई (75) पत्नी अमराजी डांगी परिवार सहित अपने मकान के आंगन में सोई थी। रात में आया अज्ञात चोर नन्दूबाई के दाये कार से सोने का गाला लूट ले गया। नींद से जाग होने एवं चिल्लाने पर देखा तो कान से खून निकल रहा था एवं गाला गायब था। इस पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया है।

कार्यालय नगर परिषद चित्तौड़गढ़

पता - रेलवे ऑवर ब्रिज के पास, पुरानी रेलवे फाटक, जिला चित्तौडगढ https://lsgeauction.rajasthan.gov.in

क्रमांक : भूमि / 2025-26 / 5305-11 दिनांक :- 03.09.2025

ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड की नीलामी सूचना बाबत्

नगर परिषद चित्तौडगढ द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से गांधीनगर आवासीय योजना, महेशपुरम आवासीय योजना एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना चित्तौडगढ में स्थित निम्न सारणी अनुसार आवासीय भूखण्डो को नीलाम किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं धरोहर राशि दिनांक 29.09.2025 समय प्रातः 10.00 A.M. बजे से दिनांक 06.10.2025 समय सांय 5.00 P.M. बजे तक जमा करवा सकते है। ई-ऑक्शन दिनांक 07.10.2025 को प्रातः 10.00 AM बजे से शुरू होगा तथा दिनांक 09.10.2025 को सांय 5.00 PM बजे तक रहेगा। नियम / शर्तें एवं नीलामी से संबंधित जानकारी ई-ऑक्शन पोर्टल https://lsgeauction.rajasthan.gov.in(SSO ID के माध्यम से) पर देखी जा सकती है। निलामी में बोली लगाने के लिए प्रतिभागी स्वयं की SSo Id (G2C) से LSG E-action Portal पर अपनी Profile व Refund Account Details भरने के बाद उपलब्ध Live E-action में भाग ले सकते है।

भूखण्डों के लिए विशेष विवरण :-

क्र. सं.	योजना का नाम	Facing Towards	भूखण्ड सं.	आम रोड़	साईज वर्गफीट में	प्रस्तावित न्यूनतम निलामी दर प्रति वर्गफीट (आरक्षित दर)	धरोहर राशि
1	गांधीनगर एफ ब्लॉक सेक्टर नं. 5	East	116	30 फीट	30X64=1920	1500	16000
2	गांधीनगर एफ ब्लॉक सेक्टर नं. 5 आम रोड 40 फीट	South	147	40 फीट	30X64=1920	2000	20000
3	गांधीनगर सेक्टर नं. 5 (विस्तार)	South-East	716-Corner	30 फीट, 30 फीट	25X50=1250	2500	40000
4		North-East	717-Corner	30 फीट, 30 फीट	25X52=1300	2500	42000
5	गांधीनगर सेक्टर नं. 5 (विस्तार)	South-East	692 - Corner	40 फीट, 30 फीट	30X64=1920	2400	62000
6		South	693	40 फीट	30X64=1920	2400	62000
7		South	694	40 फीट	30X64=1920	2400	62000
8	महेशपुरम आवासीय योजना ब्लॉक बी	West	78	30 फीट	20X50=1000	1500	7000
9	श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना ब्लॉक ए	West	11	60 फीट	20X40=800	1000	5100
10		West	12	60 फीट	20X40=800	1000	5100
11		West	13	60 फीट	20X40=800	1000	5100
12	श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना ब्लॉक ए	North-West	16-Corner	60 फीट, 40 फीट	27X40=1080	1000	7000
13		West	17	60 फीट	20X40=800	1000	5100
14		South-East	25-Corner	40 फीट, 30 फीट	27X40=1080	1000	7000
15	श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना ब्लॉक ए	North-East	33-Corner	40 फीट, 30 फीट	27X40=1080	1000	7000
16	श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना ब्लॉक बी	North-West	67-Corner	40 फीट, 30 फीट	33.6X50=1675	1000	11000
17		South-East	73-Corner	40 फीट, 40 फीट	33.6X60=2010	1000	13000
18	गांधीनगर जी ब्लॉक सेक्टर नं. 5	South	78	40 फीट	30X64=1920	2000	20000
19		South	79	40 फीट	30X64=1920	2000	20000
20		West	113	20 फीट	20X49=980	1500	10000

उपरोक्त सभी ये भूखण्ड नगर परिषद सीमा क्षेत्र में स्थित होकर प्राईम लोकेशन पर है।

नोट :- आमजन द्वारा निलामी में भाग लेने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया SSO-ID (G2C) के माध्यम से LSG E-auction की App/Portal पर देखा जा सकता है।

राज.संवाद / सी / 25 / 10009 प्रशासक आयुक्त

सरकार ने 222 आर.ए.एस. का तबादला कर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया

वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू बने मुख्यमंत्री भजनलाल के विशेषाधिकारी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) के 222 अधिकारियों के तबादले किए है। इस फेरबदल में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और बीकानेर की 9 यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। साथ ही वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू को मुख्यमंत्री भजन लाल का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अशोक कुमार योगी वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के विशिष्ट सहायक (एसए) के पद पर पोस्टिंग दी गई है। शुद्ध के लिए युद्ध और मिलावटी वस्तु के छापों से चर्चा में आए पंकज ओझा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त से हटाकर उन्हें गौ-पालन निदेशक के पद पर लगाया गया है। गौरतलब है कि पंकज ओझा ने फूड सेफ्टी विभाग में रहते बड़े स्तर पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त के साथ-साथ कई उपायुक्तों का तबादला किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में भी अतिरिक्त आयुक्त लगाते हुए कई नये उपायुक्तों को लगाया गया है।

- खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा को गौ-पालन निदेशक बनाया
- जयपुर ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार बने स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक
- हैरिटेज निगम के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह यादव को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में लगाया
- जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त समेत कई नये उपायुक्त लगाए, ग्रेटर-हैरिटेज के उपायुक्त भी बदले

इस आदेश में संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों का भी तबादल किया है। जिसमें दिनेश कुमार जांगिड को सहकारिता विभाग से पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी है। असलम शेर खान को जल संसाधन विभाग से अल्पसंख्यक मामला विभाग में संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। आनंदीलाल वैष्णव को प्रसारण निगम के सचिव से गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर लगाया है। खान विभाग की संयुक्त सचिव आशु चौधरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार पद पर लगाया गया है। राजपाल सिंह का सीईओ जिला परिषद कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पद पर तबादला किया है। कोटा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भावना शर्मा को अब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार को अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग से महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर लगाया है।

राजस्व अपील अधिकारी सुरेश कुमार नवल को भरतपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर लगाया गया है। अरविंद सारस्वत को खान विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार को स्थानीय निकाय विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। सीमा कुमार की जगह नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से तबादला करके नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हैरिटेज नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेन्द्र सिंह यादव का तबादला करके उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में (छात्रवृति एवं छात्रावास) के अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं हैरिटेज निगम के उपायुक्त युगान्तर शर्मा को अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट्र (शहर)जयपुर दक्षिण के पद पर लगाया है। प्रवीण कुमार द्वितीय, बिजेन्द्र सिंह और राजेन्द्र कुमार द्वितीय को हैरिटेज निगम में उपायुक्त, नीलम मीणा को ग्रेटर निगम में उपायुक्त के पद पर लगाया है। इसी तरह प्रतिभा पारीक को जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त के रिक्त पद पर लगाया है। रविन्द्र कुमार शर्मा, देविका तोमर, खेमाराम यादव, ओम प्रभा, अर्शदीप बराड़, सीमा खेतान और पुखराज कासोटिया को जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त लगाया है। साथ ही महावीर सिंह द्वितीय को जेडीए में प्राधिकृत अधिकारी के पद पर जिम्मेदारी सौंपी है। आर.ए.एस. गोपाल सिंह को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड जयपुर में सचिव तथा डॉ. अशोक कुमार चतुर्थ को उपसचिव के पद पर लगाया है।

इसके अलावा घूसकांड में एसीबी में ट्रेप हो चुके पुष्कर मित्तल को झालावाड़ के मनोहर थाना में एसडीएम लगाया है। साथ ही एपीओ चल रही कश्मीर कौर रॉन को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के रजिस्ट्रार पद पर पोस्टिंग दी गई है। डॉ गुंजन सोनी को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और ममता यादव को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। सावन कुमार चायल को आयुर्वेद विभाग के उपसचिव से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के रजिस्ट्रार पद पर लगाया है। झुंझुनूं एसडीएम पंकज शर्मा का तबादला वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव, मत्स्य यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लोकेश कुमार मीणा को राजमेश उपनिदेशक के पद पर लगाया है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार हरीतिमा को उपायुक्त सीएडी बीकानेर लगाया। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की रजिस्ट्रार सरिता को जिला आबकारी अधिकारी कोटा के पद पर लगाया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं

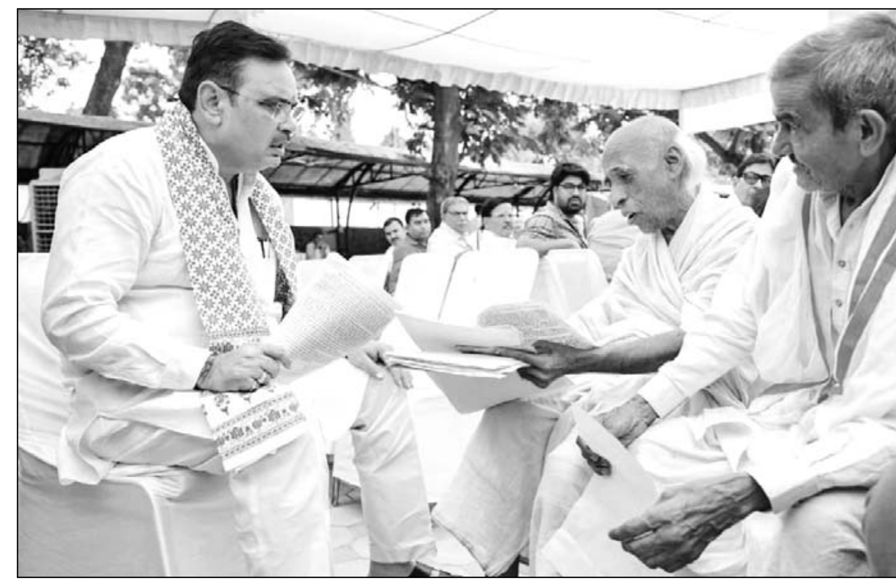

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। इसके लिए प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विभागीय स्तर पर निगरानी की जाए और परिवादियों को समाधान की जानकारी समय-समय पर दी जाए। उन्होंने आपसी समझाइश से विवादों के समाधान को प्राथमिकता देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याएं उठाई गईं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया स्मारिका का विमोचन

जयपुर (कासं)। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों को समाहित कर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। इस स्मारिका में ग्रेटर निगम के वार्ड 84 में हुए बहुआयामी विकास कार्यों के साथ जन उपयोगी एवं अन्य जानकारी का भी समावेश किया गया है।

स्मारिका का प्रकाशन चेयरमैन पार्षद वार्ड 84 अभय पुरोहित द्वारा करवाया गया। जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेटर निगम जयपुर के चेयरमैन अभय पुरोहित द्वारा सांगानेर के विकास कार्यो पर तैयार स्मारिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावत, लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा, अभय पुरोहित, एसएफएस डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल छत्तानी, सीए ललित चांदगोठिया, श्री दिगंबर जैन समाज एसएफएस की निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. राजेश जैन काला उपस्थित रहे।

एटीएस ने पकडा 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश

जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) ने गुजरात में छिपे पच्चीस हजार रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया है। जो पिछले करीब 27 सालों से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था। एटीएस टीम ने जाल बिछाकर पैसों का लालच देकर मिलने बुलाकर इनामी बदमाश को धर-दबोचा।

एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि मोस्ट वांटेड बदमाश अकबर (61) निवासी मांगरोल सुरत (गुजरात) को गिरफ्तार किया है। जो पिछले काफी समय से गुजरात में अपने ससुराल में रहकर फरारी काट रहा था। वर्ष 1998 में वाहनों की खरीद-बेचन को लेकर धोखाधड़ी के मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने गैंग के बदमाश पीर मोहम्मद, हमीद खां, विवेक कुमार और दाऊद को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में बदमाश अकबर और यूसुफ फरार चल रहे थे। बांसवाड़ा एसपी की ओर से जालसाज अकबर के खिलाफ पच्चीस हजार का इनाम रखा गया था। पिछले दो महीने से एटीएस टीम की ओर से मोस्ट वांटेड अकबर के छिपने के ठिकानों का पता लगाया जा रहा था।

'पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और साजिश बेनकाब, हाईकोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया बरी'

एसओजी और एसीबी के दुरुपयोग से दर्ज हुए झूठे मुकदमों का पर्दाफाश, कांग्रेस की नीयत उजागर : मदन राठौड़

जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में भाजपा कार्यकर्ता भरत मालानी (ब्यावर) एवं अशोक सिंह (उदयपुर) को सहसम्मान बरी किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इस निर्णय को "कांग्रेस की साजिश की हार और लोकतंत्र की जीत" बताया।

राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने एसओजी और एसीबी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे। इन मामलों में दोनों निर्दोष भाजपा समर्थकों को लगभग एक माह तक जेल में रहना पड़ा। आज एसीबी द्वारा प्रस्तुत एफ़आर के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा दोनों को बरी किया जाना यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस ने अपने आंतरिक सत्ता संघर्ष को छुपाने के लिए विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि "कांग्रेस ने उस समय अपने ही भीतर चल रही खींचतान और सचिन पायलट को कमजोर करने के उद्देश्य से भाजपा से जुड़े लोगों को फंसाने की साजिश रची।" उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा विधायकों को होटल में रखकर सरकार चलाना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक गंभीर खिलवाड़ था, और उसी की आड़ में झूठे मुकदमे गढ़े गए। राठौड़ ने कहा कि जनता सब देख रही है। कांग्रेस की ये साजिशें आने वाले चुनावों में उसे भारी पडेंगी। यह फैसला साबित करता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। गौरतलब हैं कि 2020 में अशोक गहलोत सरकार ने आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में एसओजी में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भरत मालानी और अशोक सिंह को गिरफ्तार किया गया। बाद में एसीबी में नई एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जांच के बाद दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया।

उधारी चुकाने का झांसा दे महिला से दुष्कर्म

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक परिचित ने महिला से रुपए उधार लिए और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी से नकदी लौटना का दबाव बनाया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी की धमकी से परेशान महिला ने थाने पहुंच घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयानों के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला का आरोप है कि परिचित होने के कारण दोनो में बातचीत थी और आरोपी का घर पर आना -जाना था। आरोपी ने वर्ष 2019 में महिला से उधार रुपए लिए थे। जिसके बाद वो दो -तीन सात पर नकदी लौटाने के लिए झांसे देता रहा। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शेखावाटी की हवेलियां हमारी अनमोल धरोहर : मुख्यमंत्री

भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़ी जाए, जिला कलक्टर करें सुनिश्चित : भजनलाल शर्मा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल एवं अद्वितीय धरोहर हैं। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत की सुरक्षा व रखरखाव के लिए हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलैक्टर सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़ी जाए। शेखावाटी क्षेत्र की धरती अपने आप में कला, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है।

इस वर्ष के छह माह में शेखावाटी के तीन जिलों सीकर, झुंझुनूं और चूरू में लगभग एक करोड़ 90 लाख देशी पर्यटक और 33 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खाटूश्यामजी मंदिर एवं सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हैरिटेज प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाणपत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी।

दो मोबाइल चोर गिरफ्तार

जयपुर। रामनगरिया थाना पुलिस ने दो मोबाइल चोरों सौरभ उर्फ सागर मीना (21) निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल खानाबदोश जगतपुरा और सलताज खान (22) निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल लूनियावास खोह नागोरियान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित नशे के पैसों के लिए चोरी करते थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

रक्तदान अमृत महोत्सव में 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 75 देशों में 7500 से अधिक रक्तदान शिविर लगाएंगे

ग्रेटर नगर निगम जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन किया जायेगा। भारत सहित 75 देशों में 7500 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन बुधवार को करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा।

अभियान का लक्ष्य 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर सेवा का अद्वितीय उदहारण प्रस्तुत करना है। देशभर में 4 हजार रक्त बैंक, 5 हजार डॉक्टर, 25 हजार लैब टैक्नीशियन और 1 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़कर सेवा में भाग ले रहे है। यह जानकारी मंगलवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावत, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद, जयपुर परिषद् अध्यक्ष रवि छाजेड़, राष्ट्रीय एमबीडीडी टीम एवं जयपुर कैंप के संयोजक सुरेंद्र नाहटा, जयपुर संभाग के प्रभारी करण नाहटा, जयपुर परिषद् के मंत्री शरद बरडिया ने प्रैस कॉफ्रेंस में दी।

उप महापौर पुनीत कर्णावत ने बताया कि यह मुहिम वक्त की ज़रूरत है। भारत सरकार के स्वस्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, रेलवे पुलिस फ़ोर्स तथा एन.एस.एस सहित अनेक संस्थाएं इस अभियान का सहयोग कर रही है।

केन्द्रीय नेताओं जैसे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, पियूष गोयल आदि का समर्थन प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और खेल मंत्री मनसुख माण्डविया ने पूरे देश में अभियान का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिए है।

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद ने बताया कि पिछले वर्षों में परिषद् ने 10 लाख से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रिय सम्मान अर्जित किए है। वर्ष 2022 में 6149 शिविरों के माध्यम से 2.5 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर ब्रिटिश संसद में रिकॉर्ड दर्ज़ कराया गया था। जयपुर शहर में 126 रक्तदान स्थलों पर कैंप लगाए जाएंगे।

सीएसटी के हत्थे चढ़ा मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स तस्कर

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने मानसरोवर थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त किए है। पुलिस ने जब्त एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये आंकी है। फिलहाल आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है।

- 21 लाख रु. की 87.70 ग्राम ड्रग जब्त
- जोधपुर से खरीदकर जयपुर में सप्लाई करता था आरोपी

पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करने वाले तस्कर कमलेश कुमार (21) निवासी चितलवाना जिला जालौर हाल मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस आरोपी के पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी भी जब्त किए गए है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित अवैध मादक पदार्थ एमडी प्रेम बागडी निवासी जोधपुर से खरीदना बताया है।

जो अपनी महिला मित्र के सहयोग से जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर सप्लाई करता है। पुलिस आरोपित तस्कर से अवैध मादक पदार्थ एमडी की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।

सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस-प्रशासन ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी : उपमुख्यमंत्री

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। आमजन को चाहिए कि वे बिना हेलमेट चलने वालों को टोकें और उन्हें सुरक्षा के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बात केवल चालान की नहीं, बल्कि जीवन बचाने की है। उपमुख्यमंत्री सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग (सुसमा) अभियान के समापन एवं अभियंता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं।

उन्होंने कहा कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से ही सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने अभियान में अभियंताओं, विशेष रूप से महिला अभियंताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह पहल ऐतिहासिक है। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री और उनकी टीम को उपमुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि यह अभियान जनता के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है।दिया कुमारी ने कहा कि यह अभियान आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सभी सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस अभियान के प्रमुख बिंदु साझा करें, ताकि यह व्यापक स्तर पर पहुंचे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया ।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में दो दिन सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों का भौतिक निरीक्षण करें और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब केवल फाइलों पर हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा। यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो आगे कोई चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री ने बताया कि 9 अगस्त से 15 सितंबर तक चले इस अभियान में प्रदेश के 1097 संस्थानों के 4.18 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। करौली जिले ने 112 संस्थानों के 41,031 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर पहला स्थान प्राप्त किया।

- दिया कुमारी ने कहा "सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाएंगे"

मास्टर ट्रेनर कविता मीणा, रेणू मीणा और अधिशाषी अभियंता हरिनारायण मीणा को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा सीकर, डूंगरपुर, झुंझुनूं और जयपुर के अधिकारियों तथा अभियान में सक्रिय दो वाहन चालकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता टी.सी. गुप्ता, नोडल अधिकारी शिल्पा श्रीमाल, विभागीय अधिकारी, महिला मास्टर ट्रेनर और बडी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

शोध कार्यों में भारतीयता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए : राज्यपाल बागड़े

■ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा एवं शोध की धारा को पुनर्जीवित करने में यह नीति प्रभावी सिद्ध हो रही है

अजमेर (कासं)। कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रवास के दौरान शिक्षकों एवं अधिकारियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रहित, अनुसंधान, रोजगारपरक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

राज्यपाल बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के माध्यम से समाज व राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए तथा ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी रोजगारोन्मुख बन सकें, उन्होंने निर्देश दिए कि शोध कार्यों में भारतीयता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह से पूर्व दीक्षांत समारोह आयोजित करने पर भी उन्होंने बल दिया। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्यपाल ने पुस्तकों के निर्माण एवं यूजीसी दिशा-निर्देशों के पूर्ण पालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु उपलब्ध छात्रवृत्तियों की जानकारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित हों। इसके साथ ही, कॉलेजों व महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय एवं भवन व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के लिये एन ए ए सी, प्रत्यायन को अनिवार्य बताया और स्पष्ट निर्देश दिए कि जो महाविद्यालय इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, उनकी संबद्धता समाप्त की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को गुणवत्ता सुधार हेतु सभी संस्थानों को नैक प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये प्रेरित करने को कहा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए आय-वृद्धि के उपाय सुझाए तथा वित्तीय लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैसे विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों पर व्यय करते हैं, वैसे ही विश्वविद्यालयों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उपयुक्त शुल्क लेना चाहिए, ताकि संस्थान शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही शीघ्र करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे अतिक्रमण पर गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से निजी अतिक्रमण हटाने का सहयोग मांगा तथा रेलवे भूमि से सम्बन्धित मामले में रेल मंत्रालय से पत्राचार कर राजभवन को भी अवगत कराने के निर्देश दिए।

क्रिकेट व कैरम प्रतियोगिताओं का आयोजन

अजमेर (कासं)। महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन सोमवार को महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल प्रांगण में महाराजा अग्रसेन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी व शिवशंकर फतहपुरिया ने बताया।

नए भारत के निर्माण में इंजीनियरों की अहम भूमिका : प्रो. दिबाकर चंद्र डेका

अजमेर (कासं)। 'नए भारत के निर्माण में इंजीनियरों का योगदान अतुलनीय है और भारतीय होने के नाते हम सभी भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं और समाज में योगदान देना चाहते हैं तो आपको भगवान विश्वकर्मा जिन्हे अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) के देवता के रूप पूजा जाता है और महान अभियंता एम. विश्वेश्वरैया से प्रेरणा लेनी चाहिए।' इंजीनियर्स डे जैसे मंच आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देते हैं।

यह बात मिज़ोरम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो दिबाकर चंद्र डेका ने कही जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंजीनियर्स डे पर आयोजित विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आनंद भालेराव ने शॉल, स्मृति चिन्ह और भगवद गीता के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया और डेका ने मिज़ोरम का विशिष्ट गमछा ओढा कर प्रो आनंद भालेराव का सम्मान किया। यह समारोह इंजीनियरिंग समुदाय के लिए नवाचार, ज्ञान साझा करने और सराहना से भरा दिन था। इंजीनियरों के अमूल्य योगदान को याद करते हुए सभी इस आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि यदि इंजीनियर अपना कार्य सही ढंग से नहीं करेंगे तो समाज और राष्ट्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनेक महत्वपूर्ण कार्य उनकी ज़िम्मेदारी में आते हैं और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आनंद भालेराव ने कहा कि 'इंजीनियर्स डे इंजीनियरों के उत्कृष्ट कार्यों को याद करने के साथ-साथ नवाचार, उत्कृष्टता और सामाजिक योगदान के लिए निरंतर प्रयास करने की याद दिलाता है।' प्रो. आनंद भालेराव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप भारत में उद्यमिता के भविष्य हैं।

तपस्या करने वालो का किया सम्मान

पुष्कर (निसं)। पुष्कर के मरुधर केसरी में चल रहे हैं चातुर्मास के तहत तप तपस्या करने वाले श्रावकों का सम्मान किया गया। पुष्कर के लुणावत परिवार की ओर से 8 दिन की तपस्या करने वाली संगीता लुणावत का मरुधर केसरी में महाराज सुकन मुनि अमृत मुनि, अखिलेश मुनि वरुण मुनि के सानिध्य में सम्मान किया गया यह सम्मान जैन श्रावक संघ पुष्कर, चातुर्मास समिति पुष्कर की ओर से किया गया। इस दौरान चातुर्मास समिति के अध्यक्ष संपत कोठारी, जैन श्रावक संघ पुष्कर के अध्यक्ष उत्तम सांखला, प्रकाश नाहर, थांवला, विमल मुथा के द्वारा किया गया। इसके अलावा अजीत लुणावत संतोष लुणावत कमल लुणावत, परिवार का भी स्वागत किया गया, प्रवचन में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के द्वारा 8 दिन की तपस्या करने वाली संगीता लुणावत का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया।

सुरीले स्मार्ट सिंगर कराओके म्यूज़िकल ग्रुप का कार्यक्रम संपन्न

अजमेर (कासं)। सुरीले स्मार्ट सिंगर कराओके म्यूजिकल ग्रुप का मासिक कार्यक्रम केसरगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ। इस बार कार्यक्रम की थीम सेड सोंग्स रखे गए थे, जिसमें सब ने एक से बढ़कर एक सेड सोंग्स गाकर माहौल गमगीन कर दिया। 70-80 के दशक के सेड सॉन्गस सुनकर कई लोग भावुक हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रुप एडमिन नीरज जैन के द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया गया। नीरज जैन ने और नहीं बस और नहीं, प्रीति जैन के साथ रूप सुहाना लगता है एवं सारिका के साथ तू चीज बड़ी है, मस्त-मस्त जैसे गाने गाकर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। ग्रुप कोऑर्डिनेटर मनस्वी सक्सेना ने दिल के अरमां आंसुओं में बह गए एवं इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं गाने गाकर सभी का दिल जीत लिया। ग्रुप कैशियर अर्चना ने जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं एवं आनंद मुकेश के साथ पहला नशा पहला खुमार गाना गया। प्रमोद सक्सेना ने तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम और मनस्वी सक्सेना के साथ प्यार दिलों का मेला है गाना गया, हरीश मसंद ने जीना यहां मरना यहां एवं कुमुद शर्मा के साथ जे हम तुम चोरी से, राजेंद्र सोनी ने काहे को रोए एवं शशि चौधरी के साथ किसी राह में किसी मोड़ पर, महेश लौंगानी ने किस्सा यह दोस्ती का एवं शिखा शर्मा के साथ ओ मारिया ओ मारिया एवं शीला शर्मा के साथ दिल की यह आरजू थी गाने गाए। प्रीति जैन ने जुस्तजू जिसकी थी, शिखा शर्मा ने कोई फरियाद, महेश सोनी ने सौ बार जन्म लेंगे एवं विद्या एडीवाल के साथ कोरा कागज था, विनोद शर्मा ने दिल तोड़ के हंस दी वह मेरा एवं नीलम शर्मा के साथ चुराके दिल मेरा, सारिका शर्मा ने तू जहां-जहां चलेगा, डॉ एन के माथुर ने गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा एवं कुमुद शर्मा के साथ वह जब याद आए, आनंद मुकेश ने यह जीवन है और यज्ञदत्त शर्मा ने चिंगारी कोई भड़के एवं कुमुद शर्मा के साथ अंखियों के झरोखों से गाने गाकर सभी का दिल छू लिया।

जिला स्तरीय समिति की बैठक 24 सितबर को : भीलवाड़ा में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में 24 सितंबर को सायं 4:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयेजित होगी।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पुतले को लटकाया फांसी के फंदे पर

अजमेर (कासं)। पृथ्वीराज मंडल भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और मातृ शक्ति के अपमान करने के विरोध में डोटासरा का पुतला बनाकर आगरा गेट चौराहे पर फांसी पर लटका कर अपना विरोध जताया।

पृथ्वीराज मंडल अध्यक्ष संदीप गोयल ने बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा समय-समय पर इस प्रकार के अमर्यादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। जिसका विरोध करते हुए पृथ्वीराज मंडल भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के सभी कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के पुतले को फांसी पर चढ़ाकर यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में इस प्रकार की ओछी मानसिकता का कोई स्थान नहीं है।

मंडल महामंत्री अनिल नरवाल ने बताया कि आज के इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह, मंडल पदाधिकारी के के त्रिपाठी, अशोक मुद्गल, किशन बलानी, संदीप तंवर, सर्वेश बजाज, मुकेश चरनाल, रजनीकांत बिजावत, सुरेश गोयल, ललित अग्रवाल, राजू साहू, ललित जैन, जयसिंह सामरिया, अंकुर सोनी, अंचित परिहार, निक्की जैन, शंकर सिंह बोराना, अनुज गर्ग, संतोष कश्यप, सलीम मोहम्मद सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ख्वाजा साहब की दरगाह में हुई दुआ

अजमेर (कासं)। पंजाब सहित देशभर में हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात को लेकर ख्वाजा साहब की दरगाह में अंजुमन सैयदजादगान की ओर से विशेष दुआ मांगी गई। आहता-ए-नूर में नमाज-ए-जौहर के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में अंजुमन सैयदजादगान खुद्दाम-ए-ख्वाजा साहब के अध्यक्ष अलहाज सैयद गुलाम किबरिया दस्तगीर ने मुल्क और बाढ़ पीडितों के लिए सामूहिक दुआ करवाई। दुआ के बाद अंजुमन सैयद असलम हुसैन ने बताया कि संस्था ने पंजाब बाढ़ पीड़ितो की मदद के लिए पंजाब मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इस अवसर पर अंजुमन सैयदजादगान के उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद हसन हाशमी, मेम्बर सैयद मुनव्वर चिश्ती, सैयद असलम हुसैन, हाजी सैयद एहतेशाम अहमद चिश्ती के साथ खादिम हाजी सैयद जियाउद्दीन चिश्ती, आदि मौजूद थे।

कार्यालय नगर परिषद, पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक-नपपु/भूमि/2025/389 उजरदारी सूचना दिनांक: 15.09.2025

निम्न आवेदक ने अपनी खरीदशुदा/आवंटित/बख्शीसशुदा सम्पत्ति के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम मय पिता/पति	सम्पति का विवरण	चतुर्थ सीमा	
1	श्रीमती किरण जैन पत्नि श्री ललित जैन	प्लॉट नं. 249, हेलोज रोड पुष्कर तहसील के पीछे क्षेत्रफल 108.88 वर्गगज	पूर्व-प्लाट नं. 248 पश्चिम- प्लॉट नं. 250	उत्तर- खुली भूमि दक्षिण- रास्ता

आयुक्त, नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./भवन/24-25/257 आपत्ति सूचना दिनांक: 3/9/2024

श्री हरीश कुमार पुत्र श्री किशनलाल निवासी गणेश पोल शराब के ठेके के पास बैरवा बस्ती नगरा अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 661 / 31 का भाग है जो वाके स्वरूप सदन नोनकरण का आहता बड़ का बाड़ा नगरा अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 11.94 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व : सम्पति अम्बरीश कुमार — पश्चिम : रास्ता आम

उत्तर : सम्पति दलजीत सिंह की — दक्षिण : सम्पति पोखरलाल की

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./PWC/BPAS/2025/733 आम सूचना दिनांक: 15/9/2025

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि श्री सवाई सिंह पुत्र श्री प्रभु दान राजस्व ग्राम मदनगंज, खसरा सं. .... भूखण्ड सं. 92 के कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज इन्द्रा आवासीय योजना मदनगंज किनाढ़ जिला अजमेर रास्थान में आवासीय योजना मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान पर आवासीय निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में : भूखण्ड नम्बर 93 — पश्चिम मे : भूखण्ड नम्बर 89

उत्तर मे : भूखण्ड नम्बर 91 — दक्षिण मे : 30 फीट चौड़ा रास्ता

अत: उक्त प्रकाशन के पश्चात किसी भी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति / एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश कर सकते हैं बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

प्रभारी (भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़

प्रभारी

भवन निर्माण स्वीकृति नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2025/1540 आम सूचना दिनांक : 12.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 1394 का भूखण्ड संख्या 13 का कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन से संबंधित किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय को लिखित में आपत्ति / कारण / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम खसरा नं. क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री जयकुमार जैन पुत्र श्री शोभागमल जैन निवासी पैन्नुरिया मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर	मदनगंज 1394 खसरा 200.00 वर्गगज	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लोकेन्द्र शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा ने ग्राम थोक मालियान 3 के खसरा नम्बर 8107 भूखण्ड संख्या 06 में क्षेत्रफल 113.80 वर्गमीटर के भूखण्ड की लीज डीड हेतु आवेदन किया है। इस आम सूचना के प्रकाशन द्वारा उक्त भूखण्ड की लीज डीड श्री लोकेन्द्र शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा के पक्ष में जारी करने पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है। भूखण्ड का विवरण निम्न प्रकार है-

	सीमाऐं	नाप	सीमाऐं	नाप
उत्तर	श्री रामस्वरूप जी का मकान	200 फीट	दक्षिण - आम रास्ता 20 फुट चौड़ा	200 फीट
पूर्व	श्री जसवन्त शर्मा का मकान	556 फीट	पश्चिम - मनोहर लाल का मकान	570 फीट

किसी भी व्यक्ति/संस्था/ कम्पनी को उस लीज डीड जारी करने पर आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जोन (दक्षिण) के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही संपादित की जाएगी।

उपायुक्त (दक्षिण) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिती की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कायड़ योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 18, 19 खसरा नम्बर 3074 क्षेत्रफल 433.33 वर्गगज के आवंटी श्री सुनील कुमार भट्टनागर पुत्र स्व. श्री नरोत्तम भट्टनागर निवासी जोन्सगंज, अजमेर की मृत्यु दिनांक 11/07/2023 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश: (1) श्रीमती तारा भट्टनागर पत्नि स्व. सुनील कुमार भट्टनागर निवासी जोन्सगंज अजमेर (2) नेहा भट्टनागर पुत्री स्व. श्री सुनील कुमार भट्टनागर निवासी जोन्सगंज अजमेर द्वारा अपने सहविरासीदार श्री नितेश कुमार भट्टनागर पुत्र स्व. श्री सुनील कुमार भट्टनागर निवासी (दोनों) जोन्सगंज, अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 14/08/2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उस नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर के नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर 01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक न.पा.वि/भूमि/2025/3304 आम सूचना दिनांक : 15.9.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कॉलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं	क्षेत्र
1.	परवीन दायीचं पुत्र लक्ष्मीकान्त दायीच	अजय कॉलोनी विस्तार बिजयनगर	238	20	131.92 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर 01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक न.पा.वि/भूमि/2025/3290 आम सूचना दिनांक : 15.9.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कॉलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं	क्षेत्र
1.	कमला देवी पत्नी लक्ष्मीकान्त शर्मा	अजय कॉलोनी विस्तार बिजयनगर	238	22	111.11 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक - न.पा.वि./भूमि/2025/3341 आपत्ति आमन्त्रित सूचना दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पालिका/पेराफेरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/बाकी भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो इस आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योम में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	श्रीमती स्नेहलता कुम्हट पत्नी श्री महावीर कुम्हट	आनन्द नगर बरल द्वितीय के खसरा नम्बर 994 में भूखण्ड संख्या 08 का पूर्व हिस्सा प्रा.न. 8-बी के पूर्व दिशा में स्थित खांचा भूमि	19.44 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक - न.पा.वि./भूमि/2025/3264 आपत्ति आमन्त्रित सूचना दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिए जायेंगे। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	अंकुश कुमार जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन	कमला जीनिंग लक्ष्मीनारायण कॉलोनी नं. 1 बिजयनगर म्यू.नं. 10/1023 भू.सं. 51,52,53 की दुकान प्रा.नं.बी	20.88 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक - न.पा.वि./भूमि/2025/3274 आपत्ति आमन्त्रित सूचना दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिए जायेंगे। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	रितेश कुमार जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन	कमला जीनिंग लक्ष्मीनारायण कॉलोनी नं. 1 बिजयनगर म्यू.नं. 10/1023 भू.सं. 51,52,53 की दुकान प्रा.नं.ए	20.88 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक - न.पा.वि./भूमि/2025/3270 आपत्ति आमन्त्रित सूचना दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिए जायेंगे। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	विनोद कुमार जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन	कमला जीनिंग लक्ष्मीनारायण कॉलोनी नं. 1 बिजयनगर म्यू.नं. 10/1023 भू.सं. 51,52,53 की दुकान प्रा.नं.सी	23.13 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

आम सूचना

मेरे भाई रामकरण पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक की मृत्यु दिनांक 2/7/1988 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम ढसूक में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत ढसूक में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे भाई रामकरण रेगर का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति होतो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। -प्रार्थी- छीतरमल पुत्र रामदेव जाति रेगर, ग्राम ढसूक, तहसील अरांई(अजमेर)

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

उप.मुख्य बिजली इंजी. (कारखाना), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निचे दिए गए कार्य के लिए दी गयी तिथि को 15.00 बजे तक ई- निविदा आमंत्रित की जाती है। 1 निविदा संख्या : EL/50/18/2025-26 2 कार्य का नाम व स्थान : Ajmer- Upgradation of Loco workshop Sports Ground Facilities. 3 अनुमानित लागतः रू 2611461.07/- 4 बयाना राशि : रू. 52200/- 5 ई-निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय - 06-10.2025 at 15.00 Hrs एवं ई-निविदा खोलने की तारीख एवं समय-06-10.2025 at 15.30 Hrs 6 वेबसाइट का ब्यौरा, जहां से ई-निविदा कि पूर्ण जानकारी प्राप्त कि जा सकती है : www.ireps.gov.in

1170-DR/25

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी एवं पदने सहायक कलक्टर, नावां (डीडवाना-कुचामन)

अन्तर्गत आदेश 05 नियम 20 सी.पी.सी. (अखबार साया)

वादी : बजरंग सहाय पुत्र गोविन्द सहाय जाति ब्राह्मण, निवासी मारोठ तहसील (डीडवाना-कुचामन)

प्रतिवादीगण

रतन पुत्र रामेश्वर जाति -ब्राह्मण, निवासी मारोठ तहसील नावां (डीडवाना-कुचामन)

वाद संख्या : 246/2024 (2024/469)

दर्ज तिथि 19.07.2024

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण रतन पुत्र रामेश्वर, संतोष पुत्र रामेश्वर, बनवारी पुत्र रामेश्वर, प्रकाश पुत्र घनश्याम, विजय पुत्र घनश्याम, शिवकुमार पुत्र रूपनारायण, नटवरलाल पुत्र रूपनारायण, गोपाल पुत्र रूपनारायण, ओमप्रकाश पुत्र रूपनारायण, सर्वेश्वर पुत्र रूपनारायण, गोपाल पुत्र श्रीनारायण, हनुमान पुत्र श्रीनारायण, प्रेमशंकर पुत्र श्रीनारायण, रमेश पुत्र श्रीनारायण, ललित पुत्र श्रीनारायण, रघुनन्दन पुत्र दामोदर, श्यामलाल पुत्र दामोदर, सत्यनारायण पुत्र श्रीनिवास, सम्पत पुत्र श्रीनिवास, विजयकुमार पुत्र श्रीनिवास, अमरचन्द पुत्र निवास, मगदत्त पुत्र शंकरवल्लभ जाति समस्त ब्राह्मण निवासीगण मारोठ तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामनसिटी।

आपके विरूद्ध बजरंग सहाय पुत्र गोविन्द सहाय जाति ब्राहमण निवासी-मारोठ तहसील-नावां जिला डीडवाना-कुचामन ने वाद / प्रार्थना अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पंजीयत किया है। आप इस न्यायालय में तारीख पेशी 19.09.2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उप संजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या जरिये प्लीडर उप संजात हो सकते है, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों। और जो इस बाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिवादी आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। इस बाबत आपको कोई हक उज्र होतो सुनवाई हेतु निश्चित दिनांक 19.09.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आम सूचना आज दिनाक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(दिव्या सोनी, आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावा (डीडवाना -कुचामन)

कार्यालय नगर परिषद, पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक-नपपु/भूमि/2025/386 उजरदारी सूचना दिनांक: 15.09.2025

निम्न आवेदक ने अपनी खरीदशुदा/आवंटित/बख्शीसशुदा सम्पत्ति के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम मय पिता/पति	सम्पति का विवरण	चतुर्थ सीमा	
1	श्री संदीप शर्मा पुत्र कृष्णगोपाल शर्मा	आवासीय प्लॉट नं. 27 गणपति नगर भटबाय गणेश मंदिर रोड पुष्कर 185.00 वर्गगज	पूर्व-अन्य की सम्पत्ति खसरा नं. 213 पश्चिम- रास्ता दक्षिण- प्लाट नं. 26	उत्तर- प्लाट नं. 28

आयुक्त, नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर 01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक न.पा.वि/भूमि/2025/3300 आम सूचना दिनांक : 15.9.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कॉलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं	क्षेत्र
1.	परवीन दायीचं पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा	अजय कॉलोनी विस्तार बिजयनगर	238	21	90.90 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर 01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक न.पा.वि/भूमि/2025/3294 आम सूचना दिनांक : 15.9.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कॉलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं	क्षेत्र
1.	कमला देवी पत्नी लक्ष्मीकान्त शर्मा	अजय कॉलोनी विस्तार बिजयनगर	200	23	111.11 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक - न.पा.वि./भूमि/2025/3218 आपत्ति आमन्त्रित सूचना दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिए जायेंगे। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	राजेश कुमार धम्माणी पुत्र बिरदीचन्द धम्माणी	नारायण कॉलोनी द्वितीय, बिजयनगर म्यू.नं. 10/1023 भू.सं. 09 का पश्चिमी हिस्सा	62.73 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक - न.पा.वि./भूमि/2025/3308 आपत्ति आमन्त्रित सूचना दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिए जायेंगे। अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	मोहल्ले का नाम	क्षेत्रफल
1	रूपचन्द धम्माणी पुत्र बिरदीचन्द धम्माणी	नारायण कॉलोनी द्वितीय, बिजयनगर म्यू.नं. 10/1023 भू.सं. 09 का पश्चिमी हिस्सा	62.73 वर्गमीटर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक: 1045 जाहिर आम सूचना दिनांक 15.9.25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 4 - A-2, खोया गणेश, फेज-तृतीय, किशनगढ़ क्षेत्रफल 163.980 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री लाखन सिंह मीना पुत्र श्री नारायण सिंह मीना को दिनांक 30.12.2015 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री लाखन सिंह मीना पुत्र श्री नारायण सिंह मीना द्वारा दिनांक 03.03.2021 को आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात श्री लाखन सिंह मीना पुत्र श्री नारायण सिंह मीना द्वारा आवास के विक्रय श्री दीवान कौशल गौर पुत्र श्री राम प्रसाद गौर को दिनांक 03.09.2025 को कर दिया गया है। उक्त विक्रय पंजीयन की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1151 में पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 202503006106406 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3882 के पृष्ठ संख्या 270 से 281 पर दिनांक 03.09.2025 को चस्पा किया गया है। अब श्री दीवान कौशल गौर पुत्र श्री राम प्रसाद गौर ने उक्त आवास के संबंधित विक्रय दैनन्त प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री दीवान कौशल गौर पुत्र श्री राम प्रसाद गौर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपने उजरात / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद मुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड - अजमेर

कार्यालय ग्रा.प. गढ़वालों का खेड़ा प.स. हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक- spl/2025-26/20 दिनांक: 15.09.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गढ़वालों का खेड़ा के विभिन्न गांवों में डीपलाडी एवं रियायती दरों पर पट्टे जारी करने हेतु निम्न व्यक्तियों ने आवेदन प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है।

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भेरू लाल गुर्जर जालिमपुरा	7. धापू देवी पत्नि मदनलाल कुम्हार रामनगर
2. गोपाल पुत्र देवा प्रजापत परसोदास	8. नंदलाल कुम्हार पुत्र हजारी लाल कुम्हार रामनगर
3. राम सिंह पुत्र नारायण सिंह परसोदास	9. कन्हैया लाल कुम्हार पुत्र हजारी लाल कुम्हार रामनगर
4. ओमप्रकाश पुत्र देवनारायण प्रजापत परसोदास	10. सुखदेव कुम्हार पुत्र हजारी लाल कुम्हार रामनगर
5. महावीर पुत्र बालुराम खटीक परसोदास	11. गणपत कुम्हार पुत्र हजारी लाल कुम्हार रामनगर
6. रामधन पुत्र राम देवकरण कुम्हार रामनगर	

उपरोक्त प्रार्थियों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिन में ग्राम पंचायत कार्यालय में लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते है। कोरम दिनांक 5/9/2025 के प्र.स. 3 पर दर्ज कर दी जावेगी।

संचालन डीपीडी पर दर्ज करें।

विकास अधिकारी — हेमराज चौधरी

ग्रा.वि.अधिकारी — सरपंच

गढ़वालों का खेड़ा — गढ़वालों का खेड़ा

प.सं. हुरड़ा(भीलवाड़ा) — प.सं. हुरड़ा(भीलवाड़ा)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि श्री सुरेन्द्र कुमार की एक सम्पत्ति, भूखण्ड संख्या 34, वाके सिद्धार्थ नगर, धोलाभाटा, अजमेर में है जो आनन्दपुरी हाऊसिंग को ऑपरेटिव सोसायटी में स्थित है। जिस सम्पत्ति पर श्री सुरेन्द्र कुमार ने हमारे बैंक HDFC BANK LTD. अजमेर शाखा से गृह ऋण लिया था। जिस का ऋण खाता संख्या 629251444 है। जिसमें श्री सुरेन्द्र कुमार के पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी सह ऋणधारक है, श्री सुरेन्द्र कुमार का दिनांक 20.09.2020 को देहान्त होने के पश्चात् उनकी वर्णित सम्पत्ति उनके विधिक वारिसानों में श्रीमती उर्मिला देवी (पत्नी), हेमन्त कुमार (पुत्र), एवं प्रियंका सत्यावना (पुत्री) को विरासत व उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। जिनमें से हेमन्त कुमार ने वर्णित सम्पति में अपने हिस्से को जरिये पंजीबद्ध हक त्यागपत्र 26.04.2022 को अपनी माताजी श्रीमती उर्मिला देवी के हक में हक त्याग कर दिया। वर्तमान में वर्णित सम्पति पर श्रीमती उर्मिला देवी एवं प्रियंका सत्यावना ही मालिक है। जिनके द्वारा सम्पूर्ण ऋण अदायगी किये जाने के पश्चात् श्री सुरेन्द्र कुमार के विधिक वारिसानों द्वारा हमारे बैंक HDFC BANK LTD. अजमेर शाखा से मूल दस्तावेज प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया हैं। जो कि उक्त वर्णित सम्पति से सम्बन्धित मूल दस्तावेज श्री सुरेन्द्र कुमार के विधिक वारिसानों को दिये जाने या वर्णित सम्पति या सम्पति से सम्बन्धित उक्त दस्तावेज या अन्य कोई दस्तावेज बाबत् किसी व्यक्ति विशेष या जनसाधारण को कोई आपति किसी भी प्रकार की हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन से सात दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करें बाद मियाद किसी प्रकार का कोई दावा/ हक/ अधिकार मान्य या स्वीकार्य नही होगा।

रोहित गोयल, एडवोकेट मो0 80581-50831

कार्यालय नगरपालिका मण्डल बोरावड़ (डीडवाना-कुचामन)

Email :npborawar@gmail.com

क्रमांक :- न.पा.बो./2025-26/908 दिनांक :- 15.09.2025

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनार्थ कृषि नियमन/69-क/निर्माण स्वीकृति/नामान्तरण हेतु नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिंनाक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें, अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में भूमि आवंटन पट्टा/जारी कर दिया जावेगा।

क्र. स.	पत्रावली सं./प्रयोजन	आवेदक का नाम/पिता का नाम	क्षैत्रफल वर्गगज में	खसरा नं., भूखण्ड का पता कॉलोनी/मौहल्ला का नाम
1.	20/2025-26 69-क	श्रीमती जसोदा देवी पत्नी रामकुमार	84.80	230, बावरियों का बास, बोरावड़
2.	21/2025-26 69-क	श्रीमती जसोदा देवी पत्नी रामकुमार	51.00	230, बावरियों का बास, बोरावड़
3.	43/2025-26 कृषि नियमन पट्टा एवं भवन निर्माण स्वीकृति	श्री आसुराम पुत्र मेहराम राम	166.66	प्लाट न. 20, खसरा सं. 149, कर्मा बाई कॉलोनी, बोरावड़
4.	44/2025-26 कृषि नियमन पट्टा एवं भवन निर्माण स्वीकृति	श्री रामअवतार पुत्र चतुर्भुज	166.66	प्लाट न. 21, खसरा सं. 149, कर्मा बाई कॉलोनी, बोरावड़
5.	45/2025-26 कृषि नियमन पट्टा एवं भवन निर्माण स्वीकृति	श्री विकास पुत्र बिरदीचन्द	166.66	प्लाट न. 22, खसरा सं. 149, कर्मा बाई कॉलोनी, बोरावड़

अधिशाषी अधिकारी

नगरपालिका बोरावड़

मैं हैरान हूं, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, ये देखकर दुख हुआ। क्रिकेट को राजनीतिक मत बनाइए। हैंडशेक न करने पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरी नजर में इसे भूल जाना ही बेहतर है। - शोएब अख्तर

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज, भारत-पाक मैच के बाद हैंडशेक नहीं करने को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने दुबई के मैदान पर 128 रनों का लक्ष्य 25 गेंद बाकी रहते आसानी से हासिल कर लिया। ये सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 24वां मैच था। उनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। दरअसल, सूर्या ने 24 टी20 मैचों के बाद बतौर भारतीय कप्तान कोहली और धोनी से ज्यादा जीत हासिल की हैं। उन्होंने अब तक कप्तान के रूप में 19 मैच जीते हैं। उन्होंने 2023 में पहली बार भारत की कमान संभाली थी।

क्या आप जानते हैं ?... एशिया कप का 17वां एडिशन यूएई में खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के 6ठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

गंभीर का जीत के बाद बड़ा बयानः पहलगाम शहीदों को श्रद्धांजलि, सेना को सलाम

नई दिल्ली, 15 सितंबर। मौजूदा एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद, भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम की जीत पर खुशी जताई और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। अप्रैल में पहलगाम हमले और उसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद, यह एशिया कप मुकाबला भारत-पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला था। इन परिस्थितियों और मैच के लिए ऑनलाइन आलोचनाओं के कारण भारी दबाव से जूझते हुए, सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहली गेंद से ही अपना दबदबा बनाए रखा और सात विकेट से जीत हासिल की। मैच के बाद, प्रसारकों के साथ बातचीत में, गंभीर ने कहा कि शानदार जीत। इस टूर्नामेंट में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। यह मैच महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे और जो कुछ उन्होंने सहा था, उसे याद करना चाहते थे।

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 19वें ओवर में जीत पाया श्रीलंका

दुबई, 15 सितम्बर। एशिया कप के 8वें मैच में श्रीलंका ने हॉन्ग कॉन्ग को 4 विकेट से हरा दिया। 150 रन का टारगेट हासिल करने में टीम को 19 ओवर लग गए। ओपनर पथुम निसांका ने 44 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। उनके आउट होते ही टीम ने 8 रन बनाने में 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन दसुन शनाका और वनिंदू हसरंगा ने आखिर में जीत के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ टीम ने सुपर-4 स्टेज में जगह बना ली।

आरआर क्रिकेट अकादमी सीकर जीती

जयपुर, 15 सितम्बर। अंडर-13 पिंकसिटी कप में आर आर क्रिकेट अकादमी सीकर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 192 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाएं! लक्ष्य चौधरी और सिद्धार्थ वर्मा ने 60-60 रनों का योगदान दिया। एनसीसी क्रिकेट अकादमी की ओर से साहिल गोरा ने दो विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एनसीसी क्रिकेट अकादमी 40 ओवर में 189 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना सकी! समीर गोरा ने 63 और ओम चौरसिया ने 36 रनों का योगदान दिया। आरआर क्रिकेट अकादमी सीकर की ओर से गजेंद्र यादव, हर्षिल और दीपेश मीणा ने दो-दो विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच गजेंद्र यादव को चुना गया।

एसएमएस पोलो अकादमी ने नाहरगढ़ को हराया

जयपुर, 15 सितम्बर। कैवेलरी पोलो ग्राउंड पर सितम्बर पोलो सीजन 2025, जयपुर जूनियर अंडर 21 (आउट ऑफ हैट) के मैच में एसएमएस पोलो अकादमी ने नाहरगढ़ को 4.5 के मुकाबले 9 गोल से हराया। एसएमएस पोलो अकादमी टीम की ओर से लक्ष्यराज सिंह राजावत ने 1, बेंजामिन यनजोनने अपनी टीम के लिए 3 गोल ओर अयान अली ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 गोल कर जीत पक्की की। वहीं आधे गोल का हैंडीकैंप लेकर खेल रही नाहरगढ़ टीम की ओर से लक्ष्यराज सिंह राठौड़ ओर विवान मेहता ने 1- 1 गोल और संजुला मान ने 2 गोल किये पर अपनी टीम की हार टाल नहीं पाए।

राज्य स्तरीय अंडर- 23 ट्रॉफी के पहले दिन झुंझनू व टोंक जीती

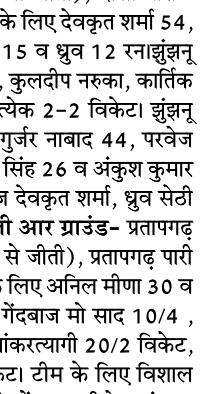

जयपुर, 15 सितम्बर। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2025 - 26 की अंडर 23 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान टीमों के संभावितों के चयन हेतु आरसीए के तत्वाधान में आज से शुरू हुई राज्य स्तरीय अंडर 23 प्रतियोगिता के आज जयपुर में खेल गए मैचों का परिणाम व स्कोर : **अनंतम ग्राउंड** दौसा - झुंझनू (झुंझनू 7 विकेट से जीती), दौसा पारी 162 आल आउट। टीम के लिए देवकृत शर्मा 54, राम शर्मा 29, लीलाधर 15 व ध्रुव 12 रन।झुंझनू के गेंदबाज अंकुशकुमार, कुलदीप नरुका, कार्तिक शर्मा व आर्यन कुमार प्रत्येक 2-2 विकेट। झुंझनू पारी 163/3, अंकित गुर्जर नाबाद 44, परवेज रशीद नाबाद 41, डेविड सिंह 26 व अंकुश कुमार 27 रन। दौसा के गेंदबाज देवकृत शर्मा, ध्रुव सेठी व पृथ्वी 1-1 विकेट। **जी आर ग्राउंड-** प्रतापगढ़ - टोंक (टोंक 8 विकेट से जीती), प्रतापगढ़ पारी 64 आल आउट। टीम के लिए अनिल मीणा 30 व अजय 20 रन, टोंक के गेंदबाज मो साद 10/4 , गणेश सुथार 4/3 व शुभांकरत्यागी 20/2 विकेट, टोंक पारी 65/2 विकेट। टीम के लिए विशाल सैनी 41 रन। प्रतापगढ़ के गेंदबाज नीलेश टांक व अनघ नंदवाना 1-1 विकेट।

साउथ जोन को हराकर सेंट्रल जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी खिताब

बेंगलुरु, 15 सितंबर। यश राठौड़ (194), सारांश जैन दो पारियों में (69/179 रन और आठ विकेट) के साथ रजत पाटीदार के तेज 101 रनों की बदौलत सेंट्रल जोन ने सोमवार को फाइनल मुकाबले के पांचवें दिन साउथ जोन पर छह विकेट जीत दर्ज करते हुए दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। सेंट्रल जोन की आज यहां 65 रनों के लक्ष्य के लिए अपनी दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 24 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। दानिश मालेवर (पांच), शुभम शर्मा (आठ), सारांश जैन (चार) के विकेट गंवा दिये। कप्तान रजत पाटीदारी 13 रन बनाकर आउट हुये। ऐसे संकट के समय बल्लेबाजी करने आये यश राठौड़ ने अक्षय वड़कर के साथ पारी को संभाला और 20.3 ओवर में चार विकेट पर 66 रन बनाकर खिताबी मुकाबला छह विकेट से अपने नाम किया।

पांचवें दिन सुबह बाएं हाथ के स्पिनर अंकित शर्मा के लिए गेंद काफी पकड़ और उछाल लेने वाली थी, जबकि तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने भी साउथ जोन की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मूवमेंट हासिल किया। दोनों गेंदबाजों ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन 65 रनों का लक्ष्य मुश्किल नहीं था। मैच की शुरुआत में दानिश मालेवर ने मिडविकेट पर क्लिप लगाकर दो रन बनाए, लेकिन जल्द ही अंकित की एक गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई। अंकित की यह एक हल्की सी ऊपर की ओर उछाली गई गेंद थी जो पिच हुई और मालेवर से तेजी से दूर मुड़ी, जिसे उन्होंने एक अनिश्चित ड्राइव के लिए मजबूर किया। शुभम शर्मा ने गुरजपनीत की गेंद पर लगातार दो चौके लगाए। पहले उनकी गेंद विकेटकीपर मोहम्मद अजहरुद्दीन के दाईं ओर गई और फिर गेंद का बाहरी किनारा लेकर गली के पार चली गई।

हालांकि, अगली ही गेंद पर शुभम की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया जब वह गुरजपनीत की फुल लेंथ आउटस्विंगर पर गए, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर अजहरुद्दीन के हाथों में चली गई। चौथे नंबर पर प्रमोशन पर आए जैन ने गुरजपनीत की गेंद को पहले प्वाइंट के ऊपर से खेला, लेकिन अगली ही गेंद पर बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लेकर उनके पैड पर लग गई, शॉर्ट लेग पर एक आसान कैच लपक लिया गया। पाटीदार ने शुरुआत में कई बार शॉट खेला और चूके, लेकिन सेंट्रल ने आक्रामक रुख अपनाना जारी रखा, यहां तक कि वाडकर ने अंकित को बैकफुट से मिडविकेट पर खेला और फिर गुरजपनीत को स्क्वायर ड्राइव पर लगाई।

पाटीदार स्टंपिंग के एक मौके से बच गए और सुबह की नमी सूखने के बाद, उन्होंने कुछ और शॉट खेले, विशेषकर अंकित के खिलाफ मिड ऑफ के बाईं ओर दो शानदार ऑन द अप ड्राइव। लेकिन सेंट्रल से 16 रन दूर रहते हुए, अंकित की सीधी गेंद पर स्वीप शॉट को लगाने के प्रयासा में वह मिडऑन पर लपके गए। राठौड़ ने वी कौशिक की गेंद को कवर्स की ओर खेलकर विजयी रन बनाया। यह सेंट्रल का सातवां दलीप ट्रॉफी खिताब था और 2014-15 सीजन के बाद उनका पहला खिताब है।

भारत द्वारा हाथ नहीं मिलाने पर पीसीबी ने मैच रेफरी से की शिकायत

दुबई, 15 सितंबर। पाकिस्तान ने कल दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले मे सात विकेट से मिली हार के बाद हाथ नहीं मिलाने पर भारतीय टीम के खिलाफ शिकात दर्ज करायी है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए भारतीय टीम के व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताया है। यह शिकायत मैच से पहले की तनावपूर्ण स्थिति के बाद की गई है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई तल्खी भी शामिल है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब टॉस के समय न तो कप्तान सूर्यकुमार यादव और न ही पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने हाथ मिलाया। मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार और शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात किए बिना अपने ड्रेसिंग रूम लौट गए।

पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तानी कप्तान आगा ने विरोधस्वरूप आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी के साथ मैच के बाद के साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। कोच माइक हेसन ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी टीम हाथ मिलाने के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहती थी, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।

सूर्यकुमार ने हाथ न मिलाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह बीसीसीआई के परामर्श से पूर्व नियोजित था और सरकारी निर्देशों के अनुरूप था। प्रेस से बात बातचीत में उन्होंने कहा, ''जीवन में खेल भावना से बढ़कर कुछ नहीं है। हम पहलगाम आतंकवादी हमले के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को अपने बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया।'' सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का जवाब देते हुए, सूर्यकुमार ने कहा कि टीम और सहयोगी स्टाफ ने दुबई पहुंचने पर बाहरी विकर्षणों को कम करने का फैसला किया था, ताकि वे पूरी तरह से अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

उन्होंने कहा, ''हमने सोचा था कि ऐसा करने से हम अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मेरी टीम मुझे इन सब से दूर रखती है। तभी आप मैदान में साफ दिमाग से उतर सकते हैं।''

आरसीए की सीनियर सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन राहुल कांवट की जादूगरी ने भारत में नाम रोशन किया

जयपुर, 15 सितम्बर। सेंट्रल जोन ने 11 साल के अन्तराल के बाद दलीप ट्रॉफी जोनल टूर्नामेंट का खिताब एक बार फिर अपने नाम किया है। सेंट्रल जोन की इस जीत में राजस्थान की भी बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान के पूर्व रणजी ट्रॉफी कप्तान राहुल कांवट सेंट्रल जोन की सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और उनकी चुनी इस टीम ने एक बार फिर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सेंट्रल जोन टीम सातवीं बार चैंपियन बनी है।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन राहुल कांवट को पहली बार सेंट्रल जोन की चयन समिति में मौका मिला और वे चेयरमैन की हैसियत से चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। राहुल ने ऐसी टीम चुनी, जो उनके विश्वास पर खरी उतरी और सेंट्रल जोन को चैंपियन बना दिया। इस उपलब्धि के साथ राहुल बीसीसीआई की सलेक्शन कमेटी में भी चयन के प्रबल दावेदर बन गए हैं। राजस्थान की ओर से राहुल ने राष्ट्रीय चयन समिति के लिए आवेदन किया है। राहुल बीसीसीआई में सलेक्टर बनते हैं तो यह लम्बे अन्तराल के बाद प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

आखिरी बार 2014-15 में जीता खिताब : सेंट्रल जोन ने आखिरी बार प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी का खिताब 2014-15 में जीता। सेंट्रल जोन टीम दस बार इस टूर्नामेंट में उपविजेता भी रही है। 1962-63 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन रही हैं, जिन्होंने 18-18 बार खिताब जीता है। इसमें नार्थ जोन एक बार और वेस्ट जोन तीन बार संयुक्त विजेता बनी थीं। साथ जोन ने 13 और ईस्ट जोन ने दो बार यह खिताब जीता है।

राजस्थान के लिए खेले 89 प्रथम श्रेणी मैच : राहुल कांवट ने 1994-95 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में राजस्थान के लिए डेब्यू किया और अपने 15 साल लम्बे क्रिकेट करियर में बेहतरीन ऑल राउण्डर की भूमिका निभाते हुए 3527 रन बनाए और 162 विकेट हासिल किए।

यही नहीं लिस्ट ए मैचों में भी 773 रन और 65 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। राहुल ने दलीप ट्रॉफी में भी सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व किया और 2010-11 में दलीप ट्रॉफी की चैंपियन टीम का भी हिस्सा रहे।

यूएई ने ओमान को 42 रनों से हराया

अबू धाबी, 15 सितंबर। कप्तान मुहम्मद वसीम (69) और अलीशान शराफू (51) की अर्धशतकीय पारियों के बाद जुनैद सिद्दीकी (चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोमवार को एशिया कप 2025 के सातवें मुकाबले में ओमान को 42 रनों से हरा दिया। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत खराब रही और उसने 32 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिये। आमिर कलीम (दो), कप्तान जतिंदर सिंह (20), वसीम अली (एक), हम्माद मिर्जा (पांच) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद शाह फैसल और आर्यन बिष्ट ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन सातवें ओवर में 50 के स्कोर पर हैदर अली ने शाह फैसल नौ रन पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। विनायक शुक्ला (20), जितेन रामानंदी (13) रन बनाकर आउट हुये। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर वसीम ने समय श्रीवास्ताव (छह) को आउटकर ओमान की पारी का 130 के स्कोर पर समेटकर मुकाबला 42 रनों से जीत लिया। यूएई के लिए जुनैद सिद्दीकी ने चार विकेट लिये। मुहम्मद जवादुल्लाह और हैदर अली को दो-दो विकेट मिले। मुहम्मद रोहिद ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां ओमान ने टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बल्लेबाजी करने उतरी यूएई के लिए कप्तान मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 88 रन जोड़े। 11वें ओवर में जितेन रामानंदी ने अलीशान शराफू को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। शराफू ने 38 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। इसके बाद आसिफ खान (दो), मुहम्मद जोहैब (21), मुहम्मद वसीम 54 गेंदों में (69) और हर्षित कौशिक (नाबाद 19) के योगदान से यूएई ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 172 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। ओमान की ओर से जितेन रामानंदी ने दो विकेट लिये। समय श्रीवास्तव और हसनैन शाह ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगैस्ट चुने गये प्लेयर ऑफ द मंथ

दुबई, 15 सितंबर। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। वहीं महिला वर्ग में आयरलैंड की शीर्ष ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगैस्ट ने यह पुरस्कार जीता।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आज अगस्त महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की घोषणा की। सिराज ने न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स को पछाड़ते हुए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। सिराज के शानदार प्रदर्शन ने भारत को ओवल टेस्ट मैच में छह रनों से जीत दर्ज की थी। सिराज ने इस मैच में कुल नौ विकेट हासिल किए थे।

पुरस्कार जीतने के बाद सिराज ने कहा, ''आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना जाना मेरे लिए विशेष सम्मान की बात है। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी एक यादगार सीरीज थी, और यह मेरे द्वारा अब तक खेले गए सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक थी। मुझे गर्व है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण स्पेल के साथ, खासकर निर्णायक क्षणों में, योगदान दे सका। शीर्ष बल्लेबाज़ों के खिलाफ उनकी घरेलू परिस्थितियों में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे मेरा सर्वश्रेष्ठ भी सामने आया।''

उन्होंने कहा, ''यह पुरस्कार जितना मेरा है, उतना ही मेरे साथियों और सहयोगी स्टाफ का भी है, क्योंकि उनके निरंतर प्रोत्साहन और विश्वास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और हर बार जब मैं भारत की जर्सी पहनूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा ''

महिला वर्ग में आयरलैंड की शीर्ष ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगैस्ट को अगस्त महीने का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 23 वर्षीय प्रेंडरगैस्ट ने नीदरलैंड की ऑलराउंडर आइरिस ज़्विलिंग और पाकिस्तान की विकेटकीपर मुनीबा अली को कड़ी टक्कर देते हुए यह सम्मान हासिल किया।

अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज में दबदबा बनाने वाली प्रेंडरगैस्ट इस सम्मान के मिलने पर खुश व्यक्त करते हुए कहा, ''मुझे यह पुरस्कार पाकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आईसीसी और मेरे लिए वोट करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं अपनी टीम की साथियों और सहयोगी स्टाफ का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने पूरे ग्रीष्मकाल में कड़ी मेहनत की और कुछ महत्वपूर्ण सीरीज जीत लीं।''

पांच सुपर टैकल के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ने गुजरात जाएंट्स को 3 अंक से हराया

जयपुर, 15 सितंबर। मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स ने पांच सुपर टैकल के दम पर सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में सोमवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 33वें मुकाबले में गुजरात जाएंट्स को 40-37 से हरा दिया। हरियाणा की पांच मैचों में यह तीसरी जीत है जबकि गुजरात को छह मैचों में पांचवीं हार मिली है।

हरियाणा की जीत में शिवम पटारे (12) के अलावा डिफेंस मे कप्तान जयदीप (6) और राहुल सेतपाल (3) ने शानदार खेल दिखाया। विनय ने भी 8 अंक लेकर एचएस राकेश (14) और हिमांशु सिंह (6) के शानदार प्रदर्शन को फीका कर दिया। शुरुआती 10 मिनट पूरी तरह हरियाणा के नाम रहे। एक समय यह टीम 1-4 से पीछे चल रही थी। उसके लिए सुपर टैकल आन था। फिर 4-6 के स्कोर पर एक बार फिर उसके लिए सुपर टैकल आन था। एक समय तो हरियाणा दो खिलाड़ियों तक सीमित हो गए थे। यहां से हरियाणा ने जो रफ्तार पकड़ी वह 11-8 की लीड पर ही समाप्त हुई। हरियाणा ने तीन सुपर टैकल के साथ न सिर्फ वापसी की बल्कि लीड भी ले ली।

ब्रेक के बाद हिमांशु ने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा को आलआउट की ओर धकेला लेकिन विशाल टाटे ने हिमांशु को आउट कर आलआउट बचा लिया। 13-10 के स्कोर पर राकेश ने अपना छठा अंक लिया और फिर गुजरात ने आलआउट लेकर 14-14 से स्कोर बराबर कर दिया। आलइन के बाद हरियाणा की टीम अपना दबदबा फिर से कायम करते हुए गुजरात को सुपर टैकल की स्थिति में ले आई और फिर शिवम ने उसे एक खिलाड़ी तक सीमित कर दिया। राकेश ने हालांकि एक खिलाड़ी को रिवाइव करा लिया लेकिन अगली रेड पर अकेले बचे राकेश लपके गए और इस तरह हरियाणा ने हाफटाइम तक 25-20 की लीड ले ली। हाफटाइम के बाद राकेश ने सुपर-10 पूरा किया। राकेश हालांकि अगली रेड पर लपके गए और फिर शिवम ने लगातार दो अंक लेकर फासला 6 का कर दिया। इस बीच शिवम को लपक गुजरात ने शादलू को रिवाइव करा लिया। बीते पांच मिनट में गुजरात ने 3 के मुकाबले 5 अंक लेकर वापसी की राह पकड़ ली थी। फिर विनय को लपक गुजरात ने हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। हालांकि सेतपाल ने राकेश को सुपर टैकल कर इस स्थिति को टाल दिया।

जयपुर विकास प्राधिकरण

ई-नीलामी
सितम्बर-II एवं अक्टूबर-I, 2025

136 भूखण्ड/दुकान

114 व्यावसायिक भूखण्ड

02 आकृति एन्क्लेव योजना, जयपुर
04 आकृति एन्क्लेव-ए योजना, जयपुर
08 आकृति एन्क्लेव-बी योजना, जयपुर
10 आदिनाथ सरोवर-ए योजना, जयपुर
05 अदिति एन्क्लेव वन योजना, जयपुर
01 बड़रामजानीपुरा ब्लॉक-बी योजना, जयपुर
01 चेतन विहार, जयपुर
08 दीनदयाल नगर, जयपुर
01 गनक एन्क्लेव योजना, जयपुर
03 गोकुल ओरा योजना, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2021/1547
01 गोल्डन रेजीडेंसी स्कीम, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2023/2595
01 गोविन्दम आश्रम योजना, जयपुर
02 गोविंदम आर्केड विस्तार योजना, जयपुर
07 गोविन्दम रेजिडेन्सी-बी योजना, जयपुर
02 हनुमान नगर एच, जयपुर
01 हरित विहार योजना, जयपुर
04 हर्ष वाटिका योजना, जयपुर
07 संस्थागत योजना ग्राम-दहमी कलां, जयपुर
01 कन्हैया कुंज जयपुर
05 खुशी संसार योजना, जयपुर
03 कृष्णा सिटी, जयपुर
01 लालकोठी योजना, जयपुर
04 नाथू लाल करोल एन्क्लेव योजना, जयपुर
01 न्यू आतिश मार्केट सुखालपुरा, जयपुर
01 पत्रकार कॉलोनी, जयपुर
01 रामचन्द्रपुरा योजना, जयपुर
01 रियासत टाऊन योजना, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/2092
07 संतोष विला ब्लॉक-बी योजना, जयपुर
02 शौर्य नगर योजना, जयपुर
03 शिवांक सिटी योजना, जयपुर
01 श्रीनाथ एन्क्लेव तह. बस्सी, जयपुर
05 सिंवार सिटी योजना, जयपुर
03 द रिंग एवेन्यू ब्लॉक-बी योजना, जयपुर
02 दी रियासत रेजिडेन्सी योजना, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/2033
02 ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर
03 वीआरबी पर्ल एन्क्लेव योजना, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/1799

10 आवासीय भूखण्ड

01 अभिनव विहार योजना, जयपुर
02 आनन्द विहार योजना, जयपुर
02 महल योजना, डी-ब्लॉक, जयपुर
01 पत्रकार कॉलोनी, जयपुर
01 रोहिणी नगर प्रथम योजना, जयपुर
01 शौर्य नगर योजना, जयपुर
02 स्वर्ण विहार योजना, जयपुर

03 फार्म हाउस
03 गोविंदपुरा रोपाड़ा योजना, जयपुर

04 ग्रुप हाउसिंग
01 अनन्तपुरा ग्रुप योजना, जयपुर
03 अनुपम विहार योजना, जयपुर

01 संस्थानिक
01 रामचन्द्रपुरा योजना, जयपुर

02 मिश्रित भू-उपयोग भूखण्ड
02 मेट्रो एन्क्लेव, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2019/1133

01 सर्विस यार्ड
01 ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड, जयपुर

01 निर्मित दुकान
01 अण्डरपास (एस.एम.एस. अस्पताल से ट्रोमा सेंटर) जयपुर

भूखण्डों की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: +91 9462-569-696
RERA Website : http://rera.rajasthan.gov.in
नीलामी की नियम व शर्तों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट
www.jda.rajasthan.gov.in
राज.संवाद/सी/25/10073
इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

'विद्यालयों के निर्माण व मरम्मत में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 15 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शैक्षिणक सेवाओं एवं सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और संबंधित विभाग जवाबदेही तय करें।

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कक्षाओं का निर्माण करायें तथा पेयजल-शौचालय व व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायें।
- उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री को ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उपलब्धि का प्रमाण पत्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) में दर्ज उपलब्धि का प्रमाण-पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कक्षाओं का निर्माण, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध करवाई जाएं। शर्मा ने विद्यालयों और महाविद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए तथा फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए, प्रशिक्षण केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित करने पर भी बल दिया। उन्होंने भरतपुर के खेड़ली-गुर्जर में स्पोर्ट्स स्कूल की योजना पर भी चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) में दर्ज उपलब्धि का प्रमाण-पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिवक्ता वीआर बाजवा और अधिवक्ता कपिल गुप्ता का कहना था कि प्रकरण में पहले एसओजी में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया और फिर उसमें एफआर लगाते हुए प्रकरण को एसीबी में भेज दिया गया। प्रकरण केवल फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं की फोन रिकॉर्डिंग से साबित है कि वे सिर्फ सामान्य गपशप ही कर रहे थे। विधायकों की खरीद-फरोख्त करने जैसी कोई बात रिकॉर्डिंग में नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले में एसीबी ने अदालत में एफआर पेश कर दी है। ऐसे में प्रकरण को निस्तारित किया जाए।

गौरतलब है कि एसीबी ने मामला दर्ज किया था कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य के सहयोग से राजस्थान विधानसभा के चुने हुए वर्तमान विधायकों को रुपए का लालच देकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और हाल ही के राज्यसभा चुनाव के मतदान में इन विधायकों को अपने मत के प्रयोग को रुपए देकर अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आपराधिक कृत्य किया है। वहीं बाद में एसीबी ने विस्तृत जांच में बाद यह कहते हुए एफआर पेश कर दी थी कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

दाह संस्कार के बाद नदी में नहाने गये तीन युवकों की डूब कर मौत

जयपुर में रिंग रोड पर कल सड़क हादसे में मरे चार लोगों के दाह संस्कार के बाद यह दुर्घटना हुई

- केकड़ी रोड पर खारी नदी में नहाते समय एक युवक बहने लगा। उसे बचाने के लिए एक-एक करके पाँच युवक नदी में कूदे। ग्रामीणों ने पाँचों को पानी से निकाल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ दो को मृत घोषित किया गया। बाद में एसडीआरएफसी की टीम ने सर्च कर तीनों युवक का शव निकाला।

भीलवाड़ा, 15 सितम्बर (निसं)। जयपुर के रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में मारे गए फूलियाकलां के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की पीड़ा से गांव उबरा भी नहीं था कि एक और हादसा हो गया। चारों मृतकों के दाह संस्कार के बाद, केकड़ी रोड स्थित खारी नदी में नहाने के दौरान फूलिया कलां कस्बे के 6 लोग डूब गए, जिनमें तीन युवकों की मौत हो गई, जिससे फूलिया कलां सहित, मृतकों के गांव खेड़ा हेतम में मातम छा गया।

घटना के अनुसार, दाह संस्कार के बाद नहाने के दौरान एक युवक पानी में बहने लगा। उसे बचाने के लिए एक-एक कर पांच युवक पानी में और कूद गए, लेकिन पानी के वेग में सभी छह युवक बह गए। बाद में ग्रामीणों ने पांच युवकों को पानी से निकाल कर फूलियाकलां स्थित राजकीय हास्पिटल पहुंचाया तथा एक युवक खेड़ा हेतम निवासी महेश शर्मा पानी में लापता हो गया। स्थानीय हॉस्पिटल में खेड़ा हेतम निवासी बरदीचंद माली और महेन्द्र माली को मृत घोषित कर दिया गया। कल्याणपुरा (केकड़ी) निवासी विजयप्रताप, खेड़ा हेतम निवासी राकेश माली तथा जीवराज माली को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रैफर कर दिया गया। इन लोगों की हालत ठीक बताई जा रही है।

जिला कलेक्टर जसमीत संधू, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, विधायक लालाराम बैरवा भी मौके पहुंचे। लापता युवक महेश की तलाश के लिए भीलवाड़ा से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टीम ने लगभग एक घंटे की तलाशी के बाद नदी से महेश का शव निकाल लिया।

दो दिन में दो दर्दनाक हादसों से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। पानी में डूब कर मरे तीनों युवक निकटवर्ती खेड़ा हेतम गांव के हैं, उक्त गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर दोनों हादसों को लेकर फूलिया कलां कस्बे के बाजार सोमवार को स्वैच्छिक रुप से बंद रहे। हादसों को लेकर क्षेत्र में चारों ओर शोक की लहर है। वहीं, दूसरी ओर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। स्थानीय विधायक लालाराम बैरवा के आश्वासन के बाद मामला शांत हो पाया।

नेपाल की जैन ज़ैड अंतरिम प्र.मंत्री सुशीला कार्की से नाराज़

- जैन ज़ैड नेता कैबिनेट मंत्रियों के चयन को लेकर नाराज़ हैं
- जैन ज़ैड प्रदर्शनकारियों के एक लीडर, सदन गुरंग, जो दो दिन पहले कार्की के पैर छू रहे थे, इतने नाराज दिखे कि उन्होंने यहां तक कह दिया, कि जिसे पीएम की कुर्सी पर बिठाया है उसे उतार भी सकते हैं।

काठमांडू, 15 सितंबर। पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शनों और आंदोलन के दौर में जो कुछ हुआ, वो सबने देखा। जब प्रदर्शन खत्म हुए तो यहां पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों की चुनी हुई नेता के तौर पर सुशीला कार्की का नाम चुना गया। रविवार को उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, शाम तक 'जैन-ज़ैड' प्रदर्शनकारी उनसे भी नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर हुई ये नाराजगी यूं बढ़ गई कि बात कुर्सी से उतारने और इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई।

नेपाल की राजनीति में इस वक्त बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। नेपाल के युवा वर्ग ने विद्रोह और हिंसक प्रदर्शनों के बाद केपी ओली की सरकार हटाई और खुद ही नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चुना। वैसे सुशीला कार्की 'जैन-ज़ैड' प्रदर्शनकारियों की ही नेता हैं, लेकिन अब ये लोग उनसे भी नाराज हो गए हैं। 'जैन-ज़ैड' प्रदर्शन के अगुवा रहे सुदन गुरुंग ने तो ये तक कह दिया कि कुर्सी पर बिठाकर उतार भी सकते हैं।

नेपाल के संगठन हामी नेपाल के नेता और आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले सुदन गुरंग अपने साथियों के साथ अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के आवास के बाहर प्रदर्शन में भी पहुंचे। अब युवाओं में नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्की सरकार में शामिल हो रहे मंत्रियों में युवाओं की कमी है। जो सुदन गुरुंग दो दिन पहले तक सुशीला कार्की के पैर छू रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ कड़े शब्दों में कहा - 'जिसे पीएम की कुर्सी पर बिठाया है, उसे उतार भी सकते हैं'।

88 वर्षीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर जानकारी दी कि उसे 8.76 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया है और संबंधित बैंक को कोषागार के पक्ष में इस राशि का डीडी जमा कराने को कहा गया है। याचिका में कहा गया कि इस पत्र के आधार पर बैंक ने गत जनवरी माह से उसकी पेंशन का भुगतान रोक लिया। याचिका में कहा गया कि वह 88 साल की महिला है और पूरी तरह इस पेंशन पर आश्रित है। इसके अभाव में बीते करीब नौ माह से उसका जीवन यापन कठिन हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि यदि किसी रिटायर व्यक्ति को अतिरिक्त राशि का भुगतान भी हो गया है तो उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

वक्फ अमैंडमैंट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसलिए, कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाली धारा स्थगित की जाती है।''

नए कानून के अनुसार, जिलाधिकारी को वक्फ संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े विवादों में अंतिम निर्णायक बना दिया गया था। अधिनियम में कहा गया था: ''यदि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि संपत्ति (पूरी या आंशिक रूप से) विवादित है या सरकारी संपत्ति है, तो उस हिस्से को वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा न हो जाए।''

इस प्रावधान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध दावों की बाढ़ आ जाएगी।

पीठ ने यह भी कहा कि किसी वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी कहा कि कानून में जो प्रावधान था कि ''कोई व्यक्ति जिसने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो, वही वक्फ घोषित कर सकता है,'' उसे भी स्थगित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''ऐसे किसी तंत्र के बिना यह प्रावधान मनमानी शक्ति के प्रयोग का कारण बन सकता है।''

कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका रुख हमेशा यह मानकर चलता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुकूल होता है, और किसी अधिनियम में हस्तक्षेप ''बहुत ही दुर्लभ मामलों में'' किया जाना चाहिए।

1995 के वक्फ कानून में संशोधन, जिसे अप्रैल में संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, के बाद देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान-विरोधी बताते हुए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने साजिश करार दिया था। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कई वक्फ संपत्तियां भूमि विवादों और अतिक्रमण में फंसी हैं, और नया कानून इन्हें सुलझाने के लिए है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने ''बड़ी हद तक स्वीकार'' किया है। उन्होंने कहा, ''हमारा वक्फ बाय यूज़र वाला बिंदु स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही, संरक्षित स्मारकों पर तीसरे पक्ष का दावा न हो - इस पर भी कोर्ट ने सहमति जताई है। पाँच साल की जो शर्त लगाई गई थी, वह भी हटा दी गई है। कुल मिलाकर, हमारे कई मुद्दों को स्वीकार किया गया है और हम इसे संतोषजनक मानते हैं।''

'बिहार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है, जिसमें बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर बहस होगी। इससे पहले, कोर्ट ने 8 सितम्बर (सोमवार) को आदेश दिया था कि इस समय चल रही एसआईआर में, आधार कार्ड को बिहार के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए।

कोर्ट का यह हस्तक्षेप तब आया, जब उसे ऐसी शिकायतें मिलीं कि चुनाव अधिकारी पहले के निर्देशों के बावजूद आधार को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर रहे थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं जॉयमाल्या बागची की बैंच ने चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि भले ही आधार ''नागरिकता का प्रमाण नहीं'' हो सकता, लेकिन यह पहचान और निवास का ''वैध दस्तावेज'' है।

यह सुनवाई उन ''आशंकाओं और आरोपों'' के संदर्भ में हो रही है, जो ''विपक्षी दलों'' ने उठाए हैं कि प्रक्रिया के तहत असली मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के हटा दिए जा रहे हैं।

विपक्ष का कहना है कि यह एसआईआर प्रक्रिया ''अनुचित सफाई अभियान'' है, क्योंकि नाम जोड़ने के लिए जिन 11 दस्तावेजों की जरूरत बताई गई है, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, जबकि यह अन्य दस्तावेजों की अपेक्षा आम नागरिकों के पास सामान्यत: होता ही है।

चुनाव आयोग ने ''18 अगस्त'' को उन 65 लाख लोगों के नामों की सूची जारी कर दी थी, जो एसआईआर प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाये गये हैं।

'वक्फ पर सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सोमवार को कहा कि यह देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग बिना वजह के संसद के निर्णय को चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद में बने कानून के प्रावधान को लेकर चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीर्ष अदालत में अधिनियम की मंशा और प्रावधान के बारे में बताया है। शीर्ष अदालत का फैसला लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जब संसद में बनता है तब उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। वक्फ को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सबसे लंबी चर्चा हुई थी। इतना गहरायी से चर्चा करने के बाद उसे खारिज नहीं किया जा सकता है यही उच्चतम न्यायालय ने साबित किया है।

'आयकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑडिट के दायरे में नहीं आते। इसमें मुख्यत: वेतनभोगी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और आईटीआर फॉर्म 1-4 के माध्यम से फाइल करने वाले छोटे व्यापारी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। पूर्व महापौर ने सोमवार को बताया कि 16 सितंबर को स्कूल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 15 होनहार मूक-बधिर छात्र-छात्राओं को हवाई जहाज से जयपुर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के हवाई यात्रा के सपने को साकार करने में हमें खुशी हो रही है। अग्रवाल ने बताया कि यात्रा से पहले बच्चों को सोमवार को हवाई टिकट और टी-शर्ट दी गई।

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मज़बूत करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करेगा और संविधान को बरकरार रखेगा।

कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप ने सरकार की मंशा उजागर कर दी है।

वेणुगोपाल ने कहा, ''संसद में चर्चा के दौरान मैंने और कई विपक्षी सांसदों ने माँग की थी कि वक़्फ़ बनाने के लिए 5 साल से मुसलमान होने की अनिवार्यता हटाई जाए, कलेक्टरों को वक़्फ़ विवादों पर फ़ैसला करने का अधिकार न दिया जाए और ग़ैर-मुसलमानों को वक़्फ़ परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान भी हटाया जाए।''

उन्होंने आगे कहा, ''यह फ़ैसला इस सरकार के मुँह पर एक और करारा तमाचा है, जो सिर्फ़ संविधान को नष्ट करने पर तुली हुई है। उन्हें इस आदेश से सबक लेना चाहिए और इस क़ानून को तुरंत रद्द करना चाहिए।''

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर मोदी गठबंधन को एक अहम् संदेश दिया है।

घोष ने कहा, ''वक़्फ़ संशोधन अधिनियम की दो सबसे विवादास्पद धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। डगमगाते हुए मोदी गठबंधन को एक महत्वपूर्ण संदेश गया है। जल्दबाज़ी में पारित यह क़ानून धर्म की स्वतंत्रता में दख़ल देता है और इस पर दोबारा विचार की ज़रूरत है।''

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारी राय थी कि सरकार को वक़्फ़ में दख़ल नहीं देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आगे भी न्याय करेगा

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विश्वास जताया कि शीर्ष अदालत इस ज़ालिम क़ानून को पूरी तरह रद्द करेगी और संवैधानिक न्याय सुनिश्चित करेगी। इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अंतरिम राहत से उनकी उम्मीद यक़ीन में बदल गई है कि न्याय अभी भी ज़िंदा है।

उन्होंने कहा कि जमीयत इस ''ज़ालिम क़ानून'' के रद्द होने तक अपनी क़ानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी।''

मदनी ने दावा किया, ''यह नया वक़्फ़ क़ानून संविधान पर सीधा हमला है, जो न सिर्फ़ नागरिकों और अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक़ देता है बल्कि उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यह क़ानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की ख़तरनाक, असंवैधानिक साज़िश है।''

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा, यह तकनीकी रूप से मुस्लिम समुदाय का मामला है। पहले कोई भी बोर्ड का सदस्य हो सकता था, लेकिन अब उनकी संख्या चार से ज़्यादा नहीं हो सकती। अदालत ने उस अपील को स्वीकार किया है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ़ वे लोग वक़्फ़ बना सकते हैं, जो पिछले पाँच साल से इस्लाम मान रहे हों।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार को क़ानून की तीन विवादित धाराओं पर रोक लगाई।

जजों ने उस नियम को ख़ारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ़ वही लोग संपत्ति को वक़्फ़ के नाम कर सकते हैं, जो पाँच साल से इस्लाम मान रहे हों। उन्होंने ज़िलाधिकारियों को वक़्फ़ से जुड़े विवादों पर फ़ैसला करने का अधिकार भी रोक दिया।

पीठ ने वक़्फ़ बोर्डों में ग़ैर-मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया। इसके अनुसार, केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद में 20 में से अधिकतम 4 और राज्य वक़्फ़ बोर्डों में 11 में से अधिकतम 3 सदस्य ग़ैर-मुसलमान हो सकते हैं।

नए वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद कई लोगों ने इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी कुछ अहम धाराओं पर रोक लगाए जाने से यह क़ानूनी लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ ले चुकी है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908